मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014

(31 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 17]

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014

(31 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन् शर्मा) पीठासीन हुए.}

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेन्च ने माननीय हमारे कृषि मंत्री जी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई.

श्री सत्यदेव कटारे--अभी फाइनल डिसीशन नहीं आया है, फाइनल डिसीशन का तो इन्तजार करो (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--कृपया, प्रश्नकाल हो जाने दें (व्यवधान) ऊर्जा मंत्री जी का बिजली का प्रश्न है, पूर्ण हो जाने दें. कृपा करके, प्रश्नकाल हो जाने दें. (व्यवधान). मुश्किल से माननीय सदस्य पहले नंबर पर हैं. प्रश्नकाल होने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा किया था कि परिवहन आरक्षकों के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज पटल पर रखूंगा तो क्या व्यापम की जांच सी.बी.आई. से करायेंगे मुख्यमंत्री जी ? (व्यवधान).

डॉ.नरोत्तम मिश्रा--अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल तो होने दें. सदन चलाने में इनकी कोई सहयोग, कोई रूचि ही नहीं है.

श्री विश्वास सारंग-- मौसम बदल गया है, अच्छी बारिश हो गई है, अब तो बदल जाओ.

श्री उमाशंकर गुप्ता--माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां काम्पटीशन चल रहा है कौन पहले बोल दे, इसलिये जब मौका मिलता है बोलने की कोशिश करते हैं.

अध्यक्ष महोदय--प्रश्नकाल चलने दें.

इंजीनियर प्रदीप लारिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बजट में एस.सी.एस.टी. और महिला एवं बाल विकास पर चर्चा थी, लेकिन प्रतिपक्ष ने होने ही नहीं दी.

प्रश्न संख्या (1)---...

अनूपपुर जिले में विद्युत् टावर्स की स्थापना, रख-रखाव एवं संचालन

1. (*क्र. 4356) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में 132 के.व्ही. अति उच्चदाब के कितने विद्युत् टॉवर स्थापित हैं, तथा इनके रख-रखाव एवं संचालन का कार्य किस व्यक्ति या कंपनी को किन-किन शर्तों के अधीन कब से दिया गया है? वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का विवरण देवें? (ख) जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक 132 के.व्ही. के कितने विद्युत् टॉवर उक्त जिले में फेल हुए? इनके फेल होने के क्या कारण थे? क्या विद्युत् टॉवर गिरने से साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, तथा प्रभावित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति तथा विद्युत् सप्लाई बाधित हुई? यदि हां, तो नुकसान की भरपाई क्या विद्युत् विभाग करेगा, तथा इसके लिये किस अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये शासन क्या योजना बना रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अनूपपुर जिले में 132 के.व्ही. अति उच्चदाब लाइन के कुल 350 टावर स्थापित हैं तथा इनके रख-रखाव एवं संचालन का कार्य मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विभागीय आधार पर किया जाता है. प्रश्नाधीन कार्य किसी भी निजी कम्पनी/व्यक्ति से संपादित नहीं कराया जा रहा है. अत: प्रश्नाधीन शेष जानकारी दिया जाना अपेक्षित नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र में आंधी-तूफान के कारण जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक 132 के.व्ही. के कुल 03 टावर फेल हुए हैं. टावरों के फेल होने का मुख्य कारण क्षेत्र में आयी आंधी/चक्रवाती तूफान था. उक्त विद्युत् टॉवरों से चोरों द्वारा लोहे के एंगल चोरी कर लिये जाने के कारण टावर कमजोर होने से आंधी/चक्रवाती तूफान की स्थित में टावर फेल हुए हैं. अनूपपुर क्षेत्र में विद्युत् टॉवर गिरने से साउथ ईस्टर्न कोल फ़ील्ड लिमिटेड को हुए नुकसान बाबत् कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. प्रभावित क्षेत्र में 33 के.व्ही. फीडर से विद्युत् सप्लाई बहाल रखने की व्यवस्था की गई, अत: पेयजल आपूर्ति तथा विद्युत् सप्लाई आंशिक रूप से ही प्रभावित हुई. चूंकि विद्युत् टॉवर फेल होने की घटना प्राकृतिक आपदा के कारण घटित हुई है अत: ऐसे प्रकरण में नुकसान की भरपाई किये जाने का मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी में कोई प्रावधान नहीं है. प्राकृतिक आपदा के कारण विद्युत् टावरों के फेल होने के लिये कम्पनी का कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है. (ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये पुलिस प्रशासन से सतत् सम्पर्क कर विद्युत् टावरों से लोहे के एंगल चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु अनुरोध किया गया है साथ ही विद्युत् टावरों की दिन व रात्रि कालीन निगरानी की व्यवस्था की गई है तथा आवश्यकतानुसार टावरों पर नट/बोल्ट वेल्डिंग का कार्य निरंतर कराया जा रहा है.

श्री मनोज कुमार अग्रवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसमें उत्तर आया है, उससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसमें 2-3 और प्रश्न पूछना चाहता हूं. इसमें 2-3 जो जानकारी दी गई है, वह पूर्णत:

असत्य है. पहली जानकारी दी गई है कि उस दिन जिस दिन भी यह टावर्स गिरे, वह 132 के.व्ही. के टावर्स गिरे, यह एक बार नहीं गिरे 2 महीने में 3 बार गिरे और करीब-करीब एक ही तरीके से गिरे और आपने भी कहा है फेल होना या गिरना, मुझे नहीं मालूम कि आपकी लैंगवेज वही होती है फेल होना और गिरना, पहली चीज तो यह है कि क्या आप मौसम विभाग से उन दिनांकों की चक्रवात तूफान-आंधी की जो रिपोर्ट है, वह लेकर अगर आआप देखें , तो उस दिन न कोई चक्रवात था और न कोई आंधी थी और न कोई तूफान था, तो क्या आप मौसम विभाग से वैसी जानकारी लेकर और जो दोषी अफसर हैं, उनकी जवाबदारी इस पर सुनिश्चित करेंगे पहला, दूसरा यह है उसमें लिखा है कि आंशिक रूप से विद्युत प्रवाह बाधित हुआ और पेय जल व्यवस्था बाधित हुई 2 नगरपालिकाओं में नगर पालिका परिषद कोतमा और नगर पालिका परिषद बिजरी, लेकिन सत्य यह है कि 72 घंटे तक आसपास पूरे क्षेत्र में कहीं बिजली नहीं थी कि टावर्स गिर चुके थे, तो यह पूर्णत: असत्य जानकारी है तो क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी लेकर और जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो इस तरह की असत्य और भ्रामक जानकारी देते हैं उत्तर में, उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में वह बातें हैं, जिसके कारण वह पोल गिरे थे. लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मौसम विभाग से भी इसको क्रॉस चेक करा लें कि क्या उस दिन इतना चक्रवात का वेग था, जिससे यह पोल गिर सकते थे. इसकी जांच करा लेंगे.

श्री मनोज कुमार अग्रवाल -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह विद्युत प्रभाव बाधित होता है, तो किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है. एकदम सत्य है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपये की कोयला खदानों का जो नुकसान हुआ है, वह राष्ट्रीय क्षति है. इसको इतनी आसानी से और हलके तौर पर लेना यह हम सबके लिये गलत है. मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्या इसकी गहन जांच करके ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जायेगा और ऐसा क्या अपना एक्शन प्लान

है कि आगे भी इस तरह से हल्की हवा भी चल गयी या अगर कोई छू भी दिया टावर को तो गिर जाय. इसके लिये भविष्य में क्या एक्शन प्लान है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है कि एक बार यदि 132 या एसटी लाइन के खम्भे गिरते हैं या सप्लाई बाधित होती है, तो उसको स्टोर करने में बड़ा समय लगता था. तो इस घटना के बाद हम लोगों ने अब एक नई मशीन खरीदी है, लगभग 14 करोड़ रुपये की कीमत की. जिससे हाईटेंशन लाइनों के डिस्टर्ब होने से जो व्यवधान होता है, उसको रिस्टोर करने में 3 या 4 दिन न लगे, बल्कि 5-6 घण्टे में वह रिस्टोर हो जाय, इसके लिये अत्याधुनिक मशीनरी खरीदने का काम किया है.

सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति में अनियमितता

2. (*क्र. 4492) श्री बाला बच्चन : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति हेतु अगस्त 2013 में निविदा आमंत्रित की थी? यदि हां, तो इस निविदा में शामिल मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट प्रा.लि. पुणे द्वारा इलेक्ट्रानिक्स टेस्ट एवं डेव्हलपमेंट सेंटर पुणे से प्रमाणित P.C.D. के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? (ख) क्या यह सही है कि भारत शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उनके परिपत्र क्र. 32/58/2012-13 P.V.S.I. द्वारा E.T.D.C. पुणे को अधिकृत एजेंसी नहीं माना गया है? उक्त पत्र किस दिनांक को जारी कर किस दिनांक से प्रभावशील किया गया है? (ग) प्रश्न "ख" के अनुसार यदि हां, तो मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट प्रा.लि. द्वारा E.T.D.C. पुणे का प्रस्तुत प्रमाण-पत्र अमान्य होने के कारण ऊर्जा विकास निगम द्वारा किस आधार पर आपूर्ति आदेश जारी किये गये हैं? (घ) प्रश्न "ग" के अनुसार वर्णित अनियमितता के दोषी अधिकारियों का नाम, पद सहित बतावें? उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही होगी? समय-सीमा बतायें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हां. मेसर्स मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट प्रा.लि. पुणे द्वारा इस निविदा (आर.एफ.पी.) में इलेक्ट्रानिक्स टेस्ट एवं डेवलपमेंट सेन्टर पुणे द्वारा जारी पी.सी.यू. की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. (ख) जी नहीं. यह अंतरिम सूची भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाईट पर माह दिसम्बर 2013 में केवल सूचनार्थ प्रदर्शित की थी. अंतिम सूची दिनांक 4-4-2014 को वेबसाईट पर प्रदर्शित होकर प्रभावशील हुई एवं अंतरिम सूची हटा ली गयी. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में आपका संरक्षण चाहता हूं. मेरा प्रश्न सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति में हुई अनियमितता से संबंधित है. प्रश्न ग एवं घ को तो पूरी तरह से सरकार ने प्रभावित कर दिया है अपना जवाब देने से, पूरा गलत जवाब दिया है. मेरा प्रश्नांश क एवं ख पूछने का जो मूल उद्देश्य यह था कि एक तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से घोटालों पर घोटाला करती जा रही है. यह भी एक बड़ा घोटाला है. आपने जो मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट कम्पनी को पात्र बनाया है, वह पात्रता के लिये जो प्रमाण पत्र लगाये हैं,

ईटीडीसी पुणे के, वह ईटीडीसी पुणे भारत सरकार का नवीन एवं नवकर्णीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अधिकृत नहीं है. टेंडर के समय में जो लिस्ट लगी है, टेंडर का जो प्रपत्र है, उसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन को फालोअप करने के लिये किस किस अधिकृत संस्थाओं से, भारत सरकार की किन किन अधिकृत संस्थाओं से आप संबंधित प्रमाण पत्र ही लगा सकते हैं. लेकिन मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट कम्पनी को पात्र बनाने के लिये ईटीडीसी पुणे जो कि भारत सरकार का एमएनआरई की एक्रीडीटेड टेस्ट सेंटर है, एमएनआरई का, उस सेंटर में यह नहीं आते हैं. आपने ईटीडीसी पुणे का जो प्रमाण पत्र लगाकर मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट कम्पनी को पात्र बनाया है, वह पात्रता नहीं रखती है और इसमें भारी अनियमितता हुई है.

अध्यक्ष महोदय -- सीधे प्रश्न कर लें.

श्री बाला बच्चन -- भ्रष्टाचार हुआ है. मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है कि किस तरह से यह जो टेंडर की प्रक्रियाएं होती हैं, टेंडर में जो दिशा निर्देश हैं, उनको आप फालोअप न करते हुए अनियमितताएं, भ्रष्टाचार करते हैं. मेरा प्रश्न यह है कि इसमें जो अनियमितता हुई, आपने मेगाटेक पावर इक्यूपमेंट कम्पनी को पात्र बनाया है, इसमें जो अनियमितता करने वाले अधिकारी हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष के धेर्य की परीक्षा है. प्रश्न आया नहीं है और 5 मिनट से आसंदी भी मौका दे रही है और मंत्री जी भी आराम से सुन रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- भूमिका लंबी हो गई है, कृपा करके भूमिका समाप्त करें और सीधे प्रश्न करें.

श्री बाला बच्चन- अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि यह जो अनियमिततायें ऊर्जा विकास निगम के द्वारा की गई है क्या संबंधित कार्यपालन यंत्री जिसके खिलाफ पहले भी हबीबगंज थाने में अनियमिततायें करने पर एफआईआर दर्ज हुई है . मंत्री जी आपसे आग्रह करता हूं

और उत्तर में यह उम्मीद करता हूं कि यह अनियमितता करने वाले अधिकारी को आप आज ही विधानसभा में निलंबित कर जांच कराने की घोषणा करेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि ETDC पुणे MNRE द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोटरीज नहीं है, लेकिन उसको टेण्डर में पात्र इस आधार पर नहीं बनाया गया ETDC के कारण बल्कि टेंडर में भाग लेने के लिये सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर एवं चेनल पार्टनर की हैसियत से जो उसको MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) जो भारत सरकार का है उसने सिस्टम इन्ट्रीगेडर और चेनल पार्टनर की हैसियत से इनको एप्रूव्ह किया है और MNRE क्रसिल सोलर ग्रेडिंग में भी मेगा पॉवर इक्यूपमेंट प्रायवेट लिमिटेड को उन्होंने सर्टिफिकट दिया हुआ है जो अभी भी वेलिड है इसलिये आपकी जो शंका है कि किसी ऐसे लेबोरेरटी से उसको सर्टिफिकट मिल गया जिसके कारण वह क्वालीफाई हो गया, वह शंका आपकी गलत है.

अध्यक्ष महोदय-- और कुछ पूछना है तो पूछ लें , भाषण मत देना. आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री निशंक जैन -- अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार हुआ है मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर के इसकी जांच करा लें.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, मेरी जो शंका है मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो अधिकृत एजेंसी है उसके अंतर्गत वह नहीं आता है.फिर आप शर्टिफिकट देकर उस कंपनी को अपात्र करके अनियमितता की है और भारी भ्रष्टाचार किया है.

अध्यक्ष महोदय-- उसका उत्तर तो मंत्री जी ने दे दिया है.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय , आप इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे जिससे कि भविष्य में इस तरह की अनियमिततायें न हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके. क्योंकि यह सर्वविदित है कि सरकार एक के बाद एक घोटाले करती जा रही है. अध्यक्ष

जी मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवायेंगे. जांच के आदेश करे जिससे भविष्य में इस तरह के टेंडर में गड़बड़ियां न हो.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके कंसीडर करें. श्री तुकोजीराव पवार अपना प्रश्न करें. बाला बच्चन जी आप बैठ जायें आपको बहुत समय दिया.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, टेण्डर के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है. मंत्री जी ने जांच के बारे में बताया नहीं. आये दिन इस तरह की अनियमिततायें होती रहती हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आये दिन अनियमिततायें न हों , इसको देख लीजिये.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय मैं जांच की मांग कर रहा हूं.

श्री रामनिवास रावत-- मंत्री जी तो अनियमितता मान ही नहीं रहे हैं वह तो प्रश्न के जबाव में कह रहे हैं कि अंतरिम सूची थी, अंतिम सूची भी बता दें कि अंतिम सूची में उसका नाम था कि नहीं था.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं था.

श्री राम निवास रावत -- नहीं था तो वह कंपनी पात्र थी कि नहीं थी.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जबाव दिलवाये.

अध्यक्ष महोदय-- आपका जबाव तो प्रश्न के उत्तर में ही था पर इसके बाद भी आपका भाषण सुना गया.

श्री बाला बच्चन -- करोड़ों रूपये का इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता रहेगा, अनियमिततायें होती रहेगी..

श्री रामनिवास रावत-- अपात्र कंपनी को टेंडर में शामिल करके करोड़ों की खरीदी की जा रही है इक्यूपमेंट सप्लाई किये जा रहे हैं. मंत्री जी बोल ही नहीं रहे हैं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाला बच्चन जी जिस जांच की मांग कर रहे हैं, वह जांच करने के बाद ही मैं यह बात कह रहा हूं कि वह पूरी तरह से क्वालीफाई था और क्वालिफिकेशन उस समय हुआ जब अंतरिम सूची के प्रकाशित होने के पहले और अंतरिम सूची के अलावा अंतिम सूची होती है, अंतिम सूची में भी उस एजेंसी का नाम है तो जांच करने के बाद ही मैं यह कह रहा हूं कि आपकी शंका बिल्कुल ही आधार हीन है .

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बिल्कुल असत्य जबाव है. मैं संतुष्ट नहीं हूं.

अध्यक्ष महोदय-- असत्य हो या सत्य हो , अब उसकी प्रक्रियायें हैं . जबाव असत्य है तो आप उस प्रक्रिया में जायें, अब यहां पर उस पर वाद विवाद नहीं होगा.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रक्रिया में जाऊंगा. और सिद्ध करूंगा कि इसमें अनियमिततायें हुई हैं.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जायें.

नेमावर की खदानों में खनिज मैन्युअल के नियमानुसार रेत का खनन नहीं किया जाना

3. (*क्र. 3976) श्री तुकोजी राव पवार : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में खनिज विभाग द्वारा या दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खदानें नीलामी पर दी जाती है? उसके नियम क्या हैं? (ख) यदि हां, तो जो खदानें जितनी हेक्टेयर या एकड़ में दी जाती है? उसको सीमांकन कर सीमा चिन्ह लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो देवास जिले की रेत की खदानों में यह प्रावधान नहीं है और यदि है, तो निर्धारित चिन्ह के बाहर जा कर भी रेत का खनन हो रहा है? क्या इसकी जांच करेंगे? इस प्रकार का अवैध खनन करने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे और अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं चिन्ह लगने के बाद ही खनन प्रारंभ कराएंगे? (ग) क्या खान एवं खनिज मैन्युअल के उपनियम (5) में स्पष्ट है कि नदी नालों के जल के भीतर खनन नहीं किया जाएगा जबकि नर्मदा नदी में नेमावर के आस-पास की खदानों में जल के भीतर तक खनन किया जा रहा है? क्या यह नियम अनुसार है, क्या इसकी जांच करवाएंगे? (घ) क्या खनन एवं खनिज मैन्युअल के टिप्पणी (नियम 3) के E में स्पष्ट है ही पब्लिक प्लेस से 50 मीटर तक उत्खनन नहीं किया जावेगा? जबकि नर्मदा नदी के नेमावर के आस-पास के घाटों के पास खनन किया जा रहा है? इसकी जांच तुरंत कर संबंधितों को दण्डित करेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन गौण खनिज रेत, पत्थर, फर्शीपत्थर के नीलामी के प्रावधान हैं. विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से इन खदानों की नीलामी कराई जाती है. मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन द्वारा खदानें नीलाम नहीं की जाती है. (ख) जी हां. प्रश्नांश "क" के उत्तर में उल्लेखित खदानें हेक्टेयर या एकड़ में स्वीकृत की जाती है. खदानों के सीमांकन कराये जाकर सीमा चिन्ह स्थापित करने के प्रावधान हैं. देवास जिले के रेत खदानों का सीमांकन कराया जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये गये हैं एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जा रहा है. अत: अवैध उत्खनन की स्थिति नहीं होने के कारण प्रश्नांश की शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम (5) में प्रश्नाधीन प्रावधान है. नर्मदा नदी में नेमावर तथा आस-पास की खदानों में जल के भीतर खनन नहीं किया जा रहा है. अत: जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम (5) में व्यापारी खदान या उत्खनन पट्टा प्रदान करने के संबंध में निबंधन के प्रावधान हैं. नर्मदा नदी के नेमावर के आस-पास स्वीकृत रेत उत्खनि पट्टा क्षेत्रों से रेत की निकासी नियमानुसार की जा रही है. अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री तुकोजीराव पवार -- अध्यक्ष महोदय, मैं न तो यह प्रश्न उठाता न यह प्रश्न लेकर के आता . पर मां नर्मदा ने मुझे यहां पर भेजा है.

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) -- अध्यक्ष महोदय, यह तो मोदी जी की स्टाइल में बात कर रहे हैं, वे कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है यह कह रहे हैं कि मां नर्मदा ने मुझे भेजा है.

श्री विश्वास सारंग -- बिल्कुल सही कह रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- मोदी जी ने तो गंगाजी में स्नान करके किसानों की सबसीडी दी जाने वाले और बोनस के लिये आदेश कर दिया कि राज्य सरकार न दे. आप नर्मदा में स्नान करके क्या करने वाले हो.

श्री तुकोजीराव पंवार-- अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि प्रश्नांश 'ग' और 'घ' के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं.इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि शासन ने जो जवाब दिया है या तो शासन का जवाब सही है या फिर ये मेरे पास सीडी और कैसेट है यदि आप अनुमति दें तो मैं इसको पटल पर रखता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं. अनुमति नहीं है.

श्री तुकोजीराव पंवार-- हां, मुझे मालूम है आप अनुमति नहीं देंगे. मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं.

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत तो अभी तक हमें ही थी लेकिन अब तो सत्ता पक्ष को भी होने लगी है.

अध्यक्ष महोदय-- यहां सबके साथ एक सा व्यवहार होता है.

श्री तुकोजीराव पंवार-- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना मैं पटल पर नहीं रखूंगा.

श्री गोपाल भार्गव-- जितू भाई, हमारे महाराज पीजी में आ गये हैं और आप केजी में ही हो.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न करें.

श्री तुकोजीराव पंवार-- गोपाल भाई, मैं इनकी सीडी के साथ कैसेट भी रखता हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह रहा हूं कि प्रश्नांश 'ग' और 'घ' के उत्तर से सहमत नहीं हूं. इसलिए सहमत नहीं हूं कि या तो सरकार इस बात को सत्य कहे या फिर ये सीडी और कैसेट या ये मीडिया(अखबार के कतरनें दिखाते हुए) सत्य कहे. दोनों में से एक बात तय हो जाये. मेरा प्रश्न यह है कि नेमावर में नर्मदाजी में जो खनन हो रहा है वह अवैध रुप से हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए जांच की मांग नहीं करुंगा क्योंकि अब वर्षा ऋतु शुरु हो गई है और मां नर्मदा में पानी बहने लग गया है इसलिए अब ये इसकी जांच नहीं कर सकते, परंतु मैं मार्च महीने से...

अध्यक्ष महोदय-- उत्तर तो ले लीजिए.

श्री तुकोजीराव पंवार-- मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा. मैं शासन से लड़ना नहीं चाहता हूं. मैं तो शासन का समर्थक हूं. मैं स्पष्ट रुप से कहना चाहता हूं. मैंने तीन महीने से लगातार पत्र व्यवहार किया है लेकिन आज तक जांच नहीं हुई. माननीय मंत्रीजी जिन लोगों ने जांच नहीं की. इनके विभाग के द्वारा पत्र लिखा है. मेरे पास पत्र है. जिन लोगों ने जांच नहीं की, कलेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव तक, माननीय मंत्रीजी, उनका विभाग क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा?

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जितने भी पत्र दिये हैं देवास,सीहोर और हरदा में रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में उसमें कार्रवाई भी हुई है. उसमें पत्र का जवाब भी दिया है और जहां कहीं भी अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन करते हुए लोग पाये गये हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हुई है.

श्री तुकोजीराव पंवार-- अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना बता दें कि आपने जिस नियम का उल्लेख किया है क्या उस नियम के अंतर्गत वहां पर उन खदानों पर चिन्हित किया गया है. आपके खनिज अधिनियम के अंतर्गत है. क्या उनकी खदानों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने

के अलावा मां नर्मदाजी जो पवित्र नदी है,पर जो घाट बने हैं क्या उन घाटों के पास अवैध खनन नहीं हो रहा है? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं?

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई नया ठेका शुरु होता है तो सीमांकन किया जाता है. मैंने अपने उत्तर में दिया है कि सीमांकन किया गया है. जैसा प्रश्न में था पब्लिक प्लेस घाट से 50 मीटर तक प्रतिबंध होता है कि किसी भी प्रकार की खनन की कार्रवाई न हो. यह भी सुनिश्चित किया जाता है. इसके बाद भी यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है.

श्री तुकोजीराव पंवार-- अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न...

श्री बाबूलाल गौर-- अध्यक्ष महोदय, एक्स मिनिस्टर हैं. बड़ी शांति के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं.

श्री तुकोजीराव पंवार-- आदरणीय गौर साहब के लिए तो कुछ नहीं कह सकता. वह तो सदाबहार हैं. अध्यक्ष महोदय, मैंने आरटीआई में जानकारी ली थी. इस आरटीआई में आपके विभाग का उत्तर है जिसमें न तो चिन्हित है, न घाटों के पास जबकि आपके ही नियम इस आरटीआई के अंतर्गत बता रहे हैं कि 50 मीटर के अंतर्गत वह खनन हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय - ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4..श्री विष्णु खत्री

श्री तुकोजीराव पवार - ऐसी स्थिति में आप क्या यह खनन रोकेंगे और अध्यक्ष महोदय, एक और बात है..

अध्यक्ष महोदय - नहीं, अब हो गई बात. श्री विष्णु खत्री को पूछने दीजिए, नये सदस्य हैं उनको भी आप समय दें.

श्री तुकोजीराव पवार - अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, बात हो गई. अन्य किसी नियम में लेकर इस पर चर्चा कर लीजिएगा. आपकी सारी बात रिकॉर्ड में आ गई.

श्री तुकोजीराव पवार - मैं केवल इतना चाहता हूं क्योंकि रेत खदान के भू-माफियाओं का मामला है, यह अखबार लिख रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - अन्य नियमों में आप चर्चा मांग लेना.

श्री तुकोजीराव पवार -ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप नहीं चाहते तो नहीं बोलूंगा.

बैरसिया क्षेत्र का पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकास किया जाना

4. (*क्र. 4459) श्री विष्णु खत्री : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित किया गया है एवं इनके सम्पूर्ण विकास के लिये विभाग क्या कार्य योजना बना रहा है? (ख) विभाग द्वारा तरावली कला एवं इस्लाम नगर पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु अभी तक जो निर्माण कार्य किये हैं उनका नाम बतायें एवं उनको पूर्ण करते हुए आगामी वर्षों में इन केन्द्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु और क्या-क्या नये कार्य करने की योजना बना रहा है एवं इनकी लागत क्या आंकी गई है? (ग) तरावली के प्राचीन मंदिर के पास पर्यटन विभाग रात्रि विश्राम हेतु काटेज/विश्राम गृह/रेस्टोरेन्ट आदि के निर्माण का भी विचार रखता है? यदि हां, तो विभाग कब तक इन कार्यों को आरम्भ करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने या चिन्हित करने की नीति नहीं है. बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तरावली (देवी मंदिर) जम्बोसर (भैरव मंदिर), इस्लामनगर पर्यटक स्थल है. जी नहीं. (ख) देवी मंदिर तरावली में धार्मिक यात्रियों के लिये दिवस बसेरा, टायलेट ब्लाक, लाइटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है, पाथवे एवं पार्किंग का कार्य प्रगति पर है. इस्लाम नगर में राशि रुपये 65.00 लाख से बारादरी का संवर्धन, गार्डन में बेंच एवं डस्टविन, भू-दृष्टिकरण, साइनबोर्ड का कार्य किया जाना है. आगामी वर्षों में इन केन्द्रों के संपूर्ण विकास की योजना की कार्ययोजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है. (ग) जी नहीं. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री विष्णु खत्री- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तरावली में मां हरिसिद्धि का बड़ा प्राचीन मंदिर है और दोनों नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटन विकास निगम ने वहां पर कुछ विकास कार्य कराये हैं, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी , माननीय मंत्री जी और विभाग को धन्यवाद देता हूं. लेकिन वहां पर जो विकास कार्य कराये गये हैं, इसके अलावा भी कुछ विकास कार्यों की और आवश्यकता है. वहां पर एक कुंड है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि वहां पर घाट और उद्यान का निर्माण कार्य कराएंगे? साथ ही वहीं पर पास में एक बरखेड़ी देव करके स्थान है यहां पर माह में दो बार प्रत्येक दूज पर हजारों

की संख्या श्रद्धालु एकत्र होते हैं, मेला लगता है, वहां पर भी एक छोटी नदी है, जहां घाट की आवश्यकता है. ऐसे ही देवापुरा एक स्थान है, वहां पर प्रत्येक छट को मेला लगता है वहां पर भी इसी प्रकार से कुछ विकास कार्य जैसे घाट और उद्यान की आवश्यकता है. अध्यक्ष महोदय, ये स्थान पर्यटन के रूप में विकसित हों क्या माननीय मंत्री जी ऐसे कार्य करवाएंगे?

श्री सुरेन्द्र पटवा - अध्यक्ष महोदय, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में तरावली मंदिर, जिसका भोपाल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत 55 लाख रुपए का फेज टू के अंतर्गत विकास हुआ है. इसके साथ-साथ जम्बोसर, उसका भी मेगा सर्किट भोपाल के अंतर्गत करीब-करीब 81 लाख रुपए का विकास कार्य हुआ है. इसके अलावा इस्लामनगर भोपाल जो कि बैरसिया में है, उसका भी मेगा सर्किट भोपाल के अंतर्गत 65 लाख रुपए का विकास हुआ है. मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो उन्होंने 2-3 विषयों पर यहां बात रखी है, निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराकर वहां पर हम स्वयं दोनों मिलकर अगर विकास की और आवश्यकता होगी तो जिस तरह की आवश्यकता होगी उस तरह का विकास किया जाएगा.

श्री विष्णु खत्री - धन्यवाद.

खनिजों के अवैध परिवहन व भार क्षमता से अधिक ढुलाई

5. (*क्र. 2149) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौनसी सड़कें कितने-कितने भार को वहन कर सकती है? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि खनिजों के अवैध परिवहन व भार क्षमता से अधिक भरे हुए डम्परों के कारण सड़कों को बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है? यदि हां, तो शासन को हुई राजस्व हानि का विस्तृत विवरण दें? (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य शासन को हो रही राजस्व हानि की भरपाई के लिए विगत तीन वर्षों में खनिज विभाग द्वारा कौन-कौनसे वाहनों पर कितनी-कितनी राशि की चालानी कार्यवाही की गयी व कितने वाहन राजसात किए गए है? (घ) प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में सड़कों को हुई हानि के विरुद्ध खनिज विभाग ने कितनी राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा करायी? विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक", परिशिष्ट "दो" एवं परिशिष्ट "तीन" पर है. (ख) भार क्षमता से अधिक मात्रा में परिवहन करने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्राधिकरण की जलवट से बड़गांव तक निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हुई है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की एक सड़क डही-कवड़ा मार्ग लंबाई 12.60 कि.मी. में से कि.मी. 1 एवं 2 क्षतिग्रस्त हुई है. अभिवहन पारपत्र में दर्शाई गई मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज परिवहन करने पर खनिज विभाग द्वारा खनिज नियमों के अधीन कार्यवाही की गई है. जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "चार" पर है. शासन को राजस्व हानि होने जैसी स्थिति नहीं है. (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता. अभिवहन पारपत्र में दर्शाई गई मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज परिवहन करने पर रायल्टी अपवंचन के प्रकरण खनिज विभाग द्वारा दर्ज किये गये हैं. विगत तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "चार" पर है. (घ) सड़कों को हुई हानि के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा कोई राशि वसूली नहीं की गई है. अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अवैध परिवहन, भार क्षमता से अधिक ढुलाई और राजस्व हानि को लेकर था. माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और इस परिप्रेक्ष्य में तीन प्रश्न और माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं. जो डम्पर भार से अधिक परिवहन कर रहे हैं, जिससे सड़कों की क्षति हुई है, उनकी क्या उड़न दस्ता बनाकर जिले के अधिकारी को नहीं लेते हुए किसी अन्य अधिकारी को भेजकर वहां पर जांच करवाएंगे? यह मेरा पहला प्रश्न है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, हर जिले में एक टॉस्क फोर्स होती है, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, जिसमें फारेस्ट के लोग भी रहते हैं, पुलिस के लोग भी रहते हैं, रेवेन्यू के लोग

भी रहते हैं और समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन करते हुए लोगों के खिलाफ कार्यवाही वह करती है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था मेरी विधान सभा में मुझे दिखी नहीं, आये दिन मेरे ऑफिस के सामने से ही ट्रक निकलते हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसा व्यवस्था आप करें और जिले के जो खनन अधिकारी हैं उनको उसमें न रखते हुए एक सर्पराईज विजिट (surprise visit) अन्य जिले से किसी अधिकारी को भेज कर आप करवायेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र शुक्ल – मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेज कर देख लेंगे.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आदिवासी क्षेत्र है और खनिज अधिकारी डम्परों को बचाने के लिए छोटे ट्रेक्टर ट्राली वालों पर कार्यवाही कर देते हैं ताकि सरकार को लगे कि हम कार्यवाही कर रहे हैं तो ऐसी प्रेक्टिस को भी आप बंद करवायें ,बड़ी मछलियों के बजाय छोटी मछलियों को परेशान कर रहे हैं और अवैध परिवहन से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है , क्या खनिज विभाग उन सड़कों को ठीक करवायेगा?

श्री राजेन्द्र शुक्ल – अध्यक्ष महोदय, बड़ी मछली हो यो छोटी, यदि नियमों का उल्लंघन है तो कार्यवाही तो सबके साथ समान रूप से होगी. जहां तक सड़कों के निर्माण का सवाल है तो लोक निर्माण विभाग और जो आर ई एस विभाग की सड़कें हैं वो इसका काम करेंगी. खनिज विभाग तो रायल्टी की वसूली करके ,अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगा कर शासन के खजाने में पैसा जमा करता है और लोक निर्माण विभाग या निर्माण विभाग जो सड़कों के लिए हैं वो फिर उस पर काम करती हैं.

प्रश्न संख्या (6) (अनुपस्थित)

जन संकल्प 2013 के अन्तर्गत कार्ययोजना

7. (*क्र. 3758) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के जन संकल्प 2013 के बिन्दु 2 अन्तर्गत कर्मचारी से संबंधित अध्याय पृष्ठ क्रमांक 43 पर कर्मचारियों से संबंधित बिन्दु 18.1 से लेकर बिन्दु क्रमांक 18.12 तक के कार्य, वित्तीय वर्षान्त 31 मार्च 2014 तक की कार्ययोजना बनाई थी? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांकित कार्ययोजना के कार्य दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक होना शासन का उद्देश्य था? बिन्दु क्र. 18.7 के बिन्दु पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? (ग) यदि हां, तो प्रश्न दिवस तक वित्त विभाग की कार्ययोजना अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई? किन-किन के आदेश प्रसारित कर दिये? यदि नहीं, किये तो क्यों? कारण बतावें? (घ) प्रश्नांकित बिन्दुओं पर कब तक कार्यवाही होगी व आदेश कब प्रसारित होंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां. वित्त विभाग द्वारा बिन्दु क्रमांक 18.5, 18.7 तथा 18.12 के लिए कार्ययोजना बनाई गयी थी. (ख) जी हां. बिन्दु क्रमांक 18.7 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) एवं (घ) बिन्दु क्रमांक 18.5, 18.7 तथा 18.12 पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. आदेश जारी किये जाने की समय-सीमा अवगत कराया जाना संभव नहीं है. राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यथासमय निर्णय लिया जाएगा.

डॉ.रामकिशोर दोगने- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, हमारे प्रदेश को जो सहयोग करते हैं आगे चलाने में मदद करते हैं ऐसे कर्मचारियों से संबंधित है. मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं. मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 2 के अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 18.7 में कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. वित्त विभाग की वेब-साईट पर प्रदर्शित जनसंकल्प 2013 में 31 मार्च 2014 तक तृतीय समयमान वेतन दे दिया जाएगा. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बजट में इसका प्रावधान किया गया है?

श्री जयंत मलेया- अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जनसंकल्प के बिन्दु क्रमांक 18.7 में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में हमारी कार्यवाही प्रचलन में है. अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि हमारे प्रदेश कार्यरत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके लगभग 250 संवर्ग हैं और इन सभी संवर्गों को अभी परीक्षण

किया जा रहा है और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया है, हम इसी वर्ष में इसका समाधान कर देंगे.

डॉ.रामकिशोर दोगने—बजट में प्रावधान है या नहीं ? मंत्री जी कृपा करके बजट का प्रावधान बताने की कृपा करेंगे.

अध्यक्ष महोदय—इसी वित्तीय वर्ष में समाधान कर देंगे ऐसा मंत्री जी ने बोला है.

श्री जयंत मलैया—बजट में सब चीजों का प्रावधान है.

डॉ.रामकिशोर दोगने—निश्चित समय सीमा बतायें की कब तक हो जाएगा.

अध्यक्ष महोदय—बता तो दिया कि इसी वित्तीय वर्ष में कर देंगे.

श्री जयंत मलेया- अध्यक्ष महोदय, निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है.

अध्यक्ष महोदय- बता रहे हैं कि निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है, प्रक्रिया चल रही है.

भितरवार विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों, मोहल्लों, मजरों/टोलों में विद्युत् व्यवस्था

8. (*क्र. 4090) श्री लाखन सिंह यादव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधान सभा क्षेत्र के कितने, ग्रामों में बिजली नहीं मिलती, खम्बे नहीं पहुंचे हैं तथा खंबे हैं तो तार नहीं लगे हैं या तार लगे हैं तो चोरी हो गये हैं? वहां कब तक खंबे व तार पहुंच जाएगें व लोगों को विद्युत् का लाभ कब तक मिलने लगेगा? समय-सीमा स्पष्ट करें? (ख) क्या उपरोक्त के संबंध में 1 जनवरी 2013 से प्रमुख सचिव, जिलाधीश व संबंधित जिलों के किन-किन अधिकारियों को शिकायत व सुझाव मिले तथा इसके बाद किन-किन गांवों व टपरों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कारण बताते हुए, कब तक कार्यवाही हो जाएगी? (ग) भितरवार विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में लगे तार, ट्रांसफार्मर व डी.पी. पिछले 3 वर्षों में कहां-कहां चोरी हुई, कितने तार के साथ चोर पकड़े गये तथा कहां-कहां अभी तक तार व डी.पी. नहीं लगी व कब तक लग जाएगी? (घ) अ.जा. एवं अ.ज.जाति के चक नागौर (ग्राम पंचायत भोरी) रिछारीकला, ऐराया, सहारन, बनवार, नौनेवर (सिरमुला), तोड़ा (बडेराभारस) कुड़पार (खेड़ा) इन पंचायतों के अ.जा. एवं अ.ज.जाति मोहल्लों, मजरा-टोलों में जहां बिजली नहीं है वहां कब तक विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर गरीब/दलित बस्तियों में विद्युत् प्रदाय करा दी जावेगी? समय-सीमा स्पष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) भितरवार विधान सभा क्षेत्र में केवल एक ग्राम यथा-नागदा पूर्णतः अविद्युतीकृत है, जो सघन वन क्षेत्र में होने के कारण किसी भी योजना में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है. इसके अलावा प्रश्नाधीन क्षेत्र में 15 डी-इलेक्ट्रिफाईड ग्राम हैं जहां विजली नहीं मिल पा रही है. उक्त 15 ग्रामों में से 4 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत शामिल है. 1 ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य फीडर सेपरेशन योजना अन्तर्गत शामिल है. तथा 10 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य विभाग की एसएसटीडी (13-14 प्लान) योजना अन्तर्गत किया जाना अनुमोदित है, किन्तु वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही इन 10 ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित क्रमशः 4 एवं 1 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है. (ख) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक दो मजरों यथा चकनागोर, ग्राम भोरी एवं अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम समाया में आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा उक्त में से चकनागोर ग्राम भोंरी के प्रकरण में कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा भी शिकायत पत्र (जनसुनवाई अन्तर्गत) प्रेषित किया गया है. उक्त दोनों मजरों के विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर नियमानुसार आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर को मांग पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. उक्त दोनों मजरों के विद्युतीकरण कार्य को 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है. योजना की स्वीकृति/वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप उक्त कार्य किया जाना संभव हो सकेगा. (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत ग्वालियर जिले में लगे तार, ट्रांसफार्मर व डी.पी. की चोरी की कोई घटना घटित नहीं हुई है. (घ) प्रश्नाधीन उल्लेखित ग्राम रिछारीकला, सहारन, बनवार एवं कुडपार (खेड़ा) के अनुसूचित जाति/जनजाति मोहल्लों के विद्युतीकरण का कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ग्राम तौडा (बडेरामारस) एवं ऐराया में विद्युतीकरण का कार्य फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित है, जिसे मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है. चकनागोर मजरा (ग्राम पंचायत भौंरी) के विद्युतीकरण का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है, स्वीकृति उपरांत विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी. नोनेवर (सिरमुला) में कोई बसाहट नहीं है.

श्री लाखन सिंह यादव- अध्यक्ष महोदय,मेरे प्रश्न (क) के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि भितरवार विधान सभा क्षेत्र में 15 ऐसे गांव हैं जो डी-इलेक्ट्रीफाईड हैं. ये जानकारी पूरी तरह असत्य है जबकि सच्चाई तो यह है कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 38-39 ऐसे गांव हैं जिनमें आज दिनांक तक उस गांव के वाशिंदों को विद्युत के बल्ब की रोशनी का ऊजाला आज तक देखने को

नहीं मिला है और भितरवार विधान सभा ऐसी विधान सभा है जिसमें ग्वालियर जिले के 48 प्रतिशत एरिया में यह विधान सभा आता है, 52 प्रतिशत एरिया में 5 विधान सभा आती हैं

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न कर लें.

श्री लाखन सिंह यादव—मैं प्रश्न तो कर रहा हूं ,लेकिन मैं आपको पूरा इसलिए ब्रीफ करना चाहता हूं क्योंकि आसंदी से ही मुझे कुछ उम्मीद है. अध्यक्ष महोदय, ये 48 प्रतिशत वह एरिया है जो पूरी तरह जंगल ,उपड़ खाबड़ नदी नाले और खास तौर पर ये डाकुओं की शरणस्थली रहा है.

अध्यक्ष महोदय-आप प्रश्न कर लें.

श्री लाखन सिंह यादव – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न है, एक तो यह जो 38-39 ग्राम हैं, इनमें करीब 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण ग्राम और पंचायतें हैं, उनका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं. एक तो ग्राम पंचायत वड़ेरा भारस के ग्राम टाडो में नाथों के पुरा पर यहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, दूसरा ग्राम पंचायत सिरसुला के ग्राम नोनेवर में विद्युत व्यवस्था की जाना है, तीन ग्राम पंचायत मौरी के चक-नागौर में विद्युतीकरण कराया जाए, चौथा ग्राम पंचायत खेड़ा के ग्राम कुड़पार में विद्युतीकरण, पांचवा ग्राम पंचायत खड़ौआ में तथा कमलपुरा में विद्युतीकरण एवं छठवा ग्राम पंचायत एराव के नाथों के पुरा पर विद्युतीकरण किया जाना. वैसे तो टोटल इस विधानसभा में 38-39 गांव में हैं, जिनमें आज तक बिजली नहीं आई है, एक तो इनमें आप कब तक विद्युत व्यवस्था करा देंगे. मेरा दूसरा प्रश्न यह है जिसकी वजह से पूरा ग्वालियर जिले की व्यवस्था फेल है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हमारे ग्वालियर में 4 साल पहले हुई, कंपनी ने 3 साल तक पूरे क्षेत्र में काम किया, खंभे गाड़े और एक डेढ़ साल से वह कंपनी काम छोड़कर भग गई हैं, वह वहां काम नहीं करना चाह रही है, काम हो नहीं रहा है, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था है. पूरे खड़े खंभे गिर गए हैं, डी.पी. ट्रान्सफार्मर चोरी हो गए हैं. मैं यह चाहता हूं कि यह कंपनी जो भग

गई है, उससे दोबारा काम आप कब शुरू करा देंगे, जिससे पूरे जिले की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और दूसरा जो 38-39 गांव हैं, उनमें आप विद्युत व्यवस्था कब तक करा देंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, भितरवार विधानसभा में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से और फीडर सेपरेशन योजना से जो काम चल रहे हैं, वह मार्च 2015 तक पूरे होंगे.

श्री लाखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, चल नहीं रहे, चल रहे थे, परंतु डेढ़ साल से टोटल काम बंद हैं और वह कंपनी भाग गई है.

अध्यक्ष महोदय—आप पूरा जवाब सुन तो लीजिए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, वह कान्ट्रेक्ट अभी अलाइव है, उस टेंडर को हमने टर्मीनेट नहीं किया है, हमारी कोशिश है कि मार्च 2015 तक वह काम हो जाएं, जो इस योजना में सम्मिलित हैं. इसके बाद जो आपने कहा कि और जो ऐसे गांव हैं, जो इस योजना से वंचित रह गए हैं तो 12 वीं पंचवर्षीय योजना में, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में भी भितरवार विधानसभा के उन गांवों को स्वीकृत करा लिया गया है, उसके टेंडर होने वाले हैं, टेंडर होने के बाद हमारी कोशिश है कि अगस्त तक टेंडर फायनलाइज हो जाएं और सितंबर में उसके काम शुरू हो जाएं तो आपकी लगभग सारी समस्या का समाधान हो जाएगा.

श्री लाखन सिंह यावद—अध्यक्ष महोदय, यह कंपनी जो अधूरा काम छोड़कर भाग गई है, उसके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे?

अध्यक्ष महोदय—अभी तो कान्ट्रेक्ट अलाइव हैं, ऐसा उन्होंने बोला है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, जब कोई कंपनी भाग जाती है, तो उसकी 15 प्रतिशत परफार्मेन्स गारंटी विभाग के पास रहती है और जब वह समय सीमा में काम नहीं कर पाती तो उसकी 5 परसेन्ट एल.डी. भी हम लोग काटते हैं, लिक्विडेटेड डेमेज के नाम से, इस प्रकार पर्याप्त

राशि विभाग के पास रहती है. यदि कोई भागता है तो विभाग का नुकसान तो है, क्योंकि काम डिले होता है, लेकिन उस एजेन्सी का भी बहुत नुकसान होता है.

प्रश्न संख्या (9)—(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या (10)—

इन्दौर, उज्जैन जिले की खान नदी का प्रदूषित जल क्षिप्रा में छोड़ा जाना

10. (*क्र. 4205) डॉ. मोहन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर-उज्जैन जिले की खान नदी अपना प्रदूषित जल क्षिप्रा नदी में छोड़ रही है? यदि हां, तो सिंहस्थ के दृष्टिगत खान नदी के दूषित जल को स्टापडेम के माध्यम से रोकने एवं किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की शासन की क्या योजना है? (ख) सिंहस्थ की दृष्टिगत क्षिप्रा नदी में ऐसे कितने गंदे नाले हैं जो क्षिप्रा में मिलते हैं? इनको क्षिप्रा में रोकने के लिये शासन ने क्या-क्या योजनाएं बनायी? क्या इन गंदे नालों पर स्टापडेम बनाकर कोई अन्य योजना बनायी जा रही है? (ग) क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण हेतु 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई? इस राशि को कहां-कहां, किस-किस सक्षम अधिकारी के निर्देशन में खर्च किया गया? क्या समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक इन्हें पूर्ण करा लिया जायेगा? (घ) उपरोक्त कार्यों में विभाग को कब-कब अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत किस-किस व्यक्ति ने किस-किस अधिकारी के खिलाफ की उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, खान नदी के व्यपवर्तन के लिए डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है. (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उज्जैन शहर में 11 गंदे नाले क्षिप्रा नदी में मिलते हैं. नालों के जल का उपचार करने और जल को व्यपवर्तित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सदावल में दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किया है. (ग) एवं (घ) निरंक, विभाग द्वारा क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण का कार्य नहीं किया गया है. अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्जैन शहर को मां नर्मदा का पानी क्षिप्रा मैया के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बिराजित हैं, उनके भागीरथी प्रयत्न से नर्मदा जी क्षिप्रा में आ गई हैं. इंदौर से चलकर खान नदी उज्जैन की क्षिप्रा नदी की तरफ आती है. इस खान नदी में इंदौर के प्रदूषण का पानी निरंतर बढ़ता जा रहा है. मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न (क) के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है और यह भी कहा है कि खान नदी का व्यपवर्तन करने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है, इससे किसानों को भी लाभ होगा, लेकिन प्रदुषण कैसे दूर होगा यह प्रश्नचिन्ह है. माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्जैन शहर में क्षिप्रा मैया में 17 गंदे नाले मिल रहे हैं, जो गंदगी को बढ़ा रहे हैं, मंगल घाट, सिद्धनाथ घाट इससे प्रदूषित हो रहे हैं. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि क्या इन 17 नालों से क्षिप्रा मैया को शुद्धिकरण का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि आने वाले 2016 में सिंहस्थ की बड़ी चुनौती है. यह बात सही है कि नर्मदा का पानी आने के बाद उज्जैन के महाकाल के प्रति और क्षिप्रा मैया के प्रति श्रद्धा का भाव प्रगाढ़ हुआ है.मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या इन 17 नालों को क्षिप्रा मैया के शुद्धिकरण का लाभ मिल पायेगा क्योंकि आने वाले 2016 में सिंहस्थ की बड़ी चुनौती है इन नालों को जो 17 नाले बताये जा रहे हैं उनको किस प्रकार से क्षिप्रा मैया के इन घाटों से दूर करने का प्रयत्न करेंगे.

श्री जयंत मलैया—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि खान नदी को क्षिप्रा नदीं में मिलने से ग्राम पंचपिपलाई से व्यपवर्तन नहर, डायवर्शन केनाल जो कि 29 किलोमीटर उज्जैन शहर से आगे ग्राम कलियागोट में क्षिप्र नदी से मिलाने की योजना का हमारा सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, डीपीआर परीक्षण में है और अतिशीघ्र इसका कार्य प्रारम्भ हो गया. जहां इन्होंने जो 17 नालों की बात की है. इसकी जानकारी पीएचई विभाग संधारित करता है जो जानकारी मेरे पास है, 11 ऐसे नाले हैं जो इसमें मिलते हैं और इसके लिए नगर निगम का जो पीएचई का विभाग है उन्होंने अपने दूषित जल के उपचार के लिए संयंत्र स्थापित किये हैं. ये सात संयंत्र हैं. देवास शहर का जो जल मल प्रबंधन योजना के तहत् जो संयंत्र है यह स्वीकृत हो गया है, अभी इसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ. सदावल दूषित जल उपचार संयंत्र है इसके निर्माण कार्य हो गया है. मुझे यह बताया गया है कि सदावल का जो एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वह कार्य नहीं कर रहा है. पीएचई विभाग के माध्यम से उनको निर्देशित किया जाएगा कि इसको अतिशीघ्र अगर बंद है तो इसको प्रारम्भ करा दिया जाए. इसके साथ साथ पिपलियाखान दूषित जल उपचार संयंत्र हमारा प्रस्तावित है. नगर ठोस अवशिष्ट डिस्पोजल भी स्वीकृत है. सीवेज उपचार योजना यह पूरा बन चुका है. दूषित जल उपचार संयंत्र जिसकी स्थापना इन्दौर में होना है, यह भी निर्माणाधीन है. इस तरीके से जो भी नाले हमारे इस नदी में मिलना

संभावित हैं इन नालों के दूषित जल का उपचार होकर इसको क्षिप्र नदी में न छोड़ते हुए इसको इस डायवर्सन केनाल के साथ जोड़ेगे.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सदावल पर जो संयंत्र स्थापित कर रखा है. मुझे जानकारी मिली है कि वर्किंग में नहीं है, उसका कोई प्रोसेस होता नहीं है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, स्थापित तो हो गया. मैं चाहूंगा कि चूंकि आपके विभाग की क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी है, मैं चाहूंगा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इस सदावल स्थित ट्रीटमेंट प्लांट का परीक्षण आपके विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कराया जाए और वे फिजीकल इसको देख लें.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लिया जाएगा.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—बहुत बहुत धन्यवाद.

जल उपभोक्ता संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देनें विषयक

11. (*क्र. 1562) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जल उपभोक्ता संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देने तथा उनके माध्यम से कार्य कराने पर क्या शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो यह अधिकार कब तक दिये जाएंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : जल उपभोक्ता संथाओं को प्रदत्त अधिकारों में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब से मध्यप्रदेश में जल उपभोक्ता संस्थाएँ अस्तित्व में आयी हैं, तब से लेकर आज तक लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं उसमें 100 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संस्थाओं को मेन्टेनेंस की राशि दी जाती है और इस राशि से भी 20 प्रतिशत राशि मेन केनाल के मेन्टेनेस के लिए और 20 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूट्री के मेन्टेनेंस के लिए खर्च की जाती है, मात्र 60

प्रतिशत जो राशि है वह संस्थाओं के खातों में जमा की जाती है और इसमें वर्ष में दो बार एक बार रबी की फसल के लिए और एक बार खरीफ की फसल के लिए नहरों से पानी दिया जाता है और साल भर इन नहरों का मेन्टेनेंस किया जाता है. मैं यह पूछना चाहती हूँ कि 15 वर्ष पूर्व मजदूरी का भुगतान 80 रुपये के लगभग था जो अब लगभग दुगुना होकर 157 रुपये हो गया है.इतने कम मेन्टेनेंस चार्ज में नहरों का रखरखाव संभव नहीं है. क्या आप इसकी राशि बढ़ायेंगे?

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहता हूँ और माननीय सदस्या के लिए भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने जो बजट भाषण था. अपने बजट भाषण में जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए अनुदान की राशि दुगुने करने का प्रस्ताव रखा है.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—कितनी राशि?

श्री जयंत मलैया—आपने जितना कहा,उतनी दुगुनी.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय-- अब तो आपका काम ही हो गया.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे—माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय अधिकारों से संबंधित एक प्रश्न है. मंत्री जी के विभाग ने एक आदेश निकाला था कि विभाग में केवल विभागीय काम किये जाएंगे. पहले कलेक्टर सेक्टर के काम जैसे मनरेगा के तहत् और सांसद निधि, विधायक निधि के तहत् जल उपभोक्ता संस्थाओं को एजेन्सी बनाकर नहरों का रखरखाव किया जाता था लेकिन अब यह प्रतिबंध आप हटायेंगे ताकि जल उपभोक्ता संस्थाओं को वित्तीय अधिकार, मतलब उनके माध्यम से हम इन नहरों के मेन्टेनेंस का कार्य कर सकें. माननीय अध्यक्ष महोदय,इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहती हूँ कि आपके विभाग के जो प्रमुख है

माननीय चौबे जी और हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय जुलानिया जी इन दोनों की कार्यशैली से अभी तक सिंचाई की जितनी योजनाएँ अपूर्ण थीं वह निश्चित रुप से लगभग जल्दी जल्दी सारे काम पूरे किया जा रहे हैं लेकिन जल उपभोक्ता संस्थाओं को वित्तीय अधिकार के लिए आप क्या यह प्रतिबंध हटायेंगे?

श्री जयंत मलैया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और मुझे इनके प्रश्नों का जवाब देते हुए अच्छा लग रहा है इनके स्वर्गीय पिताजी के साथ भी हम रहे हैं वह उस समय मंत्री हुआ करते थे और वह भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे,माननीय सदस्या बहुत होशियार हैं और इन्होंने प्रश्न भी अच्छे पूछे हैं.जहाँ तक कलेक्टर सैक्टर के काम करने की बात है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु यह बात जरूर है कि उसके लिए जल संसाधन विभाग की स्वीकृति आवश्यक है.

सुश्री हिना लिखीराम कांवरे--- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें हम जल उपभोक्ता संस्थाओं को एजेन्सी नहीं बना सकते हैं, विभाग को ही काम करवाना पड़ेगा. मेरा प्रश्न संस्थाओं से काम करवाने के लिए था.

अध्यक्ष महोदय-- विभाग की अनुमति लेकर के एजेन्सी बना सकते हैं?

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, यह इससे उद्भूत नहीं होता है.

वाटर सप्लाई एवं विद्युतीकरण के कार्यों बावत्

12. (*क्र. 4014) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वि/यां. भारी मशीनरी संभाग क्र. 2, बरगी नगर के द्वारा वर्ष 2012-13 से अब तक कालोनी, कार्यालय, बाजार एवं बांध के जल प्रदाय एवं गैलरी (बांध) की जल निकासी पाइप लाइनों के विस्तार रख-रखाव हेतु कितनी एवं कौन-कौनसी सामग्री का क्रय किन-किन प्रदायकर्ताओं से किस दर पर किया गया? उक्त सामग्री का उपयोग कहां किया गया? पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : इस संभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से जून 2014 तक कालोनी, कार्यालय, बाजार एवं बांध के जल प्रदाय एवं गैलरी (बांध) की जल निकासी पाइप लाइनों के विस्तार रख-रखाव हेतु सामग्री का क्रय नहीं किया गया है. अत: जानकारी निरंक है.

श्रीमती प्रतिभा सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की बरगी नगर की तीन कालोनी एवं बरगी हिल्स की कालोनी के कर्मचारी अधिकारियों के आवासों की पेयजल व्यवस्था बेहद जर्जर है. यहाँ के रहवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है वर्षों पुरानी पाइपलाइनें जर्जर हो चुकी हैं इसके कारण

आधा पानी लीक होकर नालियों में बहता है और इसके कारण संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है. मेरा निवेदन है कि रानी अवंतीबाई सागर की कालोनी की जर्जर पाइपलाइनें शीघ्र बदली जायें और नलों में टोंटियाँ फिट कराई जाए ताकि अधिकारी कर्मचारियों को सुचारु रूप से पेयजल मिल सके. मेरा एक और प्रश्न है कि मंत्री जी, क्या इन कालोनीवासियों की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रुप से चलाने के लिए पर्याप्त मद देंगे और देंगे तो कब तक देंगे इसकी समयसीमा बता दें.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग(श्री लाल सिंह आर्य)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि जो सीपेज का पानी होता है उसमें कैल्शियम जमता है उसके कारण पाइपलाइनों में रुकावट आती है और वह अवरुद्ध होती हैं लेकिन उन्होंने जो विषय रखा है मैं इसी वर्ष,जहाँ भी ऐसा लगता होगा कि आवश्यकता है ,उसके अनुसार काम करा लेंगे.

श्रीमती प्रतिभा सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइपलाइनें वर्षों पुरानी हो गई हैं इस कारण लीकेज हो रहा है और संक्रमण होता है तो मंत्री जी से मैं चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि करा देंगे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं लेकिन वास्तव में यह वर्षों पुरानी पाइपलाइन हैं, इनको बदलने के लिए मद दिया जाये.

श्री लालसिंह आर्य-- अध्यक्ष महोदय, बरगी नगर कालोनी में लगभग चौदह सौ आवासों में पानी सप्लाई होती हैं, वहाँ कार्यालय भी है,वीआईपी क्षेत्र भी है, रेस्ट हाउस भी है, स्कूल भी है, नंदकेश्वर मंदिर भी है लेकिन आपकी जो समस्या है आपने जो सार्वजनिक विषय उठाया है मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि संक्रमण नहीं फैलने दिया जाएगा और ऐसी स्थिति वहाँ पर है भी नहीं .लेकिन जो भी काम आपने बताया है, उसके संबंध में लिखकर भी दे दे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ काम करा देंगे.

लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण

13. (*क्र. 2268) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त संगठन में प्रदेश में वर्ष 2011 से अब तक सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कितने अधिकारियों और कितने मंत्रियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है? दर्ज प्रकरणों की संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकरणों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हो पाये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा में लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के 40 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं तथा मंत्रियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी निरंक है. लोकायुक्त संगठन की तकनीकी शाखा में लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के 27 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं तथा मंत्रियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी निरंक है. लोकायुक्त संगठन की शिकायत शाखा में लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के 15 अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं तथा मंत्रियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जानकारी निरंक है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क", "ख", "ग", "घ" एवं "च" के अनुसार है. (ग) अनुमति के अभाव में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हेतु लंबित नहीं है.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार विगत तीन वर्षों में 82 अधिकारी, जो कि दो विभागों के थे लोक निर्माण और सिंचाई विभाग, उनके खिलाफ लोकायुक्त में कार्यवाही चल रही है और मुझे जो जानकारी दी गई है कि कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध होने के लिए अभी लंबित नहीं है. लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें सरकार की ओर से अभी अभियोजन चलाने के अनुमति प्राप्त नहीं हुई है.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग(श्री लाल सिंह आर्य)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और मैं रखना चाहता हूं कि बहुत से सदस्य जब प्रश्न पूछते हैं तो लोकायुक्त की जांच,जो कि एक व्यक्तिगत शिकायत पर भी होती है और केवल प्रक्रिया होती है लेकिन यह जवाब मिलता है कि लोकायुक्त में जांच चल रही है यह उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न इसमें उद्‌भूत नहीं होता है.

विद्युत् समस्या निराकरण हेतु पत्रों पर कार्यवाही

14. (*क्र. 4379) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से जून 2014 तक प्रश्नकर्ता एवं जनसमुदाय द्वारा विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना से संबंधित विद्युत् समस्याओं को लेकर कितने पत्र विद्युत् विभाग, मुरैना के खण्ड, उपखण्ड आदि कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए? की जानकारी उपलब्ध करावें? एवं प्रस्तुत पत्रों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या माननीय विधायक व सांसदों के पत्रों के उत्तर व निराकरण से संबंधित जानकारी एक समय-सीमा में दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के पत्रों के उत्तर की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित प्रस्तुत प्रत्रों में से क्या सभी पत्रों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है यदि कुछ शेष है तो उनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जनवरी 2014 से जून 2014 तक माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय एवं जनसमुदाय द्वारा विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना से संबंधित विद्युत् समस्याओं संबंधी 48 पत्र प्राप्त हुए हैं. उक्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण/समाधान का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में है. (ख) जी हां. माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के पत्रों के उत्तर की प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" में है. (ग) प्रश्नांश "क" के उल्लेखित 48 पत्रों में से 36 में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण किया गया है. एवं शेष 12 पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जा रहा है. जिस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न क के उत्तर में मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों में से कुछ समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाए. मैं चाहता हूँ कि निराकरण की समय सीमा तय हो या गलत बिल जो दिए गए हैं उनमें सुधार हो. मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मुरैना जिले में जो ठेका हुआ था, वह ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है, तो माननीय, मैं जैसे जवाब मांगता हूँ या दरख्वास्त देता हूँ तो मैंने पहले भी बताया था तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है. ठेकेदार के भाग जाने से मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है. मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है रशीदपुर में बिल का अभाव था, 250 लोगों ने कनेक्शन लिए थे, मैंने अधिकारी महोदय से कनेक्शन दिलाए थे, उनमें से 5 डीपी इन्होंने मंजूर की थी, एक भी डीपी एक साल से खरीदी नहीं गई है, मैं 8 बार मिल चुका हूँ और ये कहते हैं कि अभी ठेकेदार नहीं है. मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कब तक ठेकेदार आ जाएगा, कब तक डीपी उपलब्ध हो जाएगी. मेरा मंत्री जी से एक और निवेदन यह भी है कि जैसे एक गाँव में एक किसान है...

अध्यक्ष महोदय-- पहले इसका उत्तर ले लीजिए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरैना में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का काम धीमी गति से करने के कारण उस ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया गया है और विभागीय स्तर पर काम लेने के लिए एक विशेष डिवीजन का गठन कर दिया गया है इसलिए अब विभागीय स्तर पर काम होंगे और जो काम आप चाहते हैं वह मार्च 2015 तक पूरे कर दिए जाएँगे.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया-- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जैसे एक किसान है उन्हें एक ही डीपी पर से 5 कनेक्शन हैं तो 3 सही बिल भर रहे हैं, 2 नहीं भर रहे हैं, तो माननीय अधिकारी महोदय ने कहा कि पाँचों कनेक्शन्स का भरवाओ अगर वह नहीं भरा जाएगा तो 3 वालों के वैसे ही फेल हो जाएँगे. मेरा निवेदन है कि जो बिल न भरें उनके लिए कोई कार्यवाही की जाए और उन तीनों के लिए अलग लाइट दी जाए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, किसी भी ट्रांसफार्मर में यदि 100 रुपये का बिल है और 25 रुपये भी जमा हैं तो उस ट्रांसफार्मर को बदलने का निर्णय शासन ने किया है. पहले 50 प्रतिशत था फिर 25 प्रतिशत कर दिया है तो अब इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है.

पटिया पत्थर स्टाक की अनुमति के संबंध में

15. (*क्र. 4399) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खनिज अधिकारी, सतना द्वारा श्री केशरी सिंह, ग्राम अमकुई, तह. नागौद, जिला सतना को पटिया पत्थर स्टाक करने की अनुमति दी गई है? (ख) यदि हां, तो श्री केशरी सिंह को कोई भी पटिया पत्थर की खदान आवंटित नहीं होने के बावजूद पटिया पत्थर स्टाक करने की अनुमति सतना जिला से लगभग 10 कि.मी. दूर सटे हुए पन्ना जिले के गांव रीछल में स्टाक करने की अनुमति देकर अवैध पटिया की खरीददारी क्यों कराई जा रही है? (ग) क्या अधिकारियों की मिली भगत से पिट पास के माध्यम से हनुमना बैरियर होते हुए उत्तर प्रदेश प्रवेश करने का रास्ता प्रशस्त कराया जा रहा है? (घ) क्या उक्त कार्य में संलग्न श्री केशरी सिंह के स्टाक की जांच तथा संबंधित अधिकारी को जांच कराकर निलंबित किया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश "क" में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. (घ) प्रश्नांश "क" में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सतना जिले के खनिज अधिकारी जी के द्वारा पन्ना जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र का रीछल गाँव है, सलेहा के के आगे पन्ना जिले के 10 किलोमीटर भीतर वहाँ पर केशरी सिंह ठेकेदार और उसके भतीजे विजय सिंह तनय अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नाम, जब उसके नाम कोई पटिया पत्थर की लीज न पन्ना जिले में है न सतना जिले में है, उसे स्टॉक की मंजूरी मायनिंग अधिकारी के द्वारा दी गई है. इसका मतलब यह साबित होता है कि

चोरी का माल स्टॉक करके फिर पिट पास लेकर और उसे उत्तर प्रदेश भेजना. मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि उसको स्टॉक की जो स्वीकृति मिली है वह अवैध है उसे निरस्त किया जाए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, भंडारण का लायसेंस लेने के लिए लीजधारी होना आवश्यक नहीं होता है और नियमों के अनुसार भंडारण के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है. लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि इस प्रकार की कोई शंका है कि कहीं से चोरी का माल लाकर वह स्टॉक कर रहा है तो इसकी जाँच करा लेंगे और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह करेंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब उसके पास पटिए की कोई लीज़ नहीं है न पन्ना जिले में है, न सतना जिले में है, तो उस स्टॉक को निरस्त होना चाहिए क्योंकि नंबर दो का माल खरीद कर और स्टॉक करते हैं और उसको फिर सरकारी खनिज अधिकारी के पिट पास से उसे उत्तर प्रदेश ले जाते हैं. मंत्री जी, उस स्टॉक को निरस्त करें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि भंडारण का लायसेंस लेने के लिए लीजधारी होना जरूरी नहीं है इसलिए लीजधारी नहीं है इसलिए स्टॉक का लायसेंस निरस्त करेंगे तो वह नियम के विरुद्ध हो जाएगा और वह कोर्ट में चले जाएगा.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, स्टॉक किस बात के लिए, जब उसके पास कोई खदान नहीं, न उसके भतीजे विजय सिंह के नाम न केशरी सिंह के नाम, स्टॉक किस बात के लिए, और उसके पास खदान नंबर एक की नहीं है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, आगे उसी पर आ रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- पहले आप उत्तर ले लीजिए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—व्यापारिक लायसेंस भण्डारण के लिये इसलिये लिया जाता है कि जिसके पास लीज होगी उससे हम खरीदेंगे, अपने स्टाक में लायेंगे फिर वहां से बिक्री करेंगे. इस

प्रकार से नियमों में बिक्री करने का प्रावधान है. लेकिन अवैध सामान भण्डारण करने का नियम नहीं है यदि उसके यहां आने वाला कोई भी मटेरियल अवैध है उसकी जांच करेंगे और यदि उसने अवैध मटेरियल को स्टाक किया है तो लायसेंस रद्द करने का नियम में प्रावधान है, कार्यवाही करेंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह—माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है कि वह नंबर 2 का माल स्टाक कर रहा है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मेरे क्षेत्र में स्टाक है उसको आप निरस्त करें.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी ने कहा है जांच करा लेंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है. जांच का प्रश्न कहां उठता है जब उसके पास कोई लीज नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि लीज के बिना भी भंडारण का लायसेंस दिया जा सकता है.

श्री यादवेन्द्र सिंह—सरेआम चोरी करवा रहे हैं. पंचमनिया क्षेत्र में इसी तरह हुआ, अवैध उत्खनन के कारण पंचमनिया का पहाड़ बंद हो गया. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी इसे निरस्त करें.

मुरैना जिले में वर्ष 2014-15 के आबकारी ठेकों में अनियमितता

16. (*क्र. 4274) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में अंग्रेजी, देशी शराब के ठेके कितनी राशि के हुए थे उनकी तहसीलवार, ग्रुपवार राशि सहित जानकारी दी जावे एवं ठेकेदारों के नामों का भी उल्लेख सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2013-14 के ठेके वित्तीय वर्ष 2012-13 की राशि से 20% बढ़ाकर दिये गये थे इस कारण प्रत्येक ग्रुप की कितनी राशि के ठेके वर्ष 2013-14 में हुए? (ग) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 के ठेके काफी कम रेट पर दिये गये हैं क्यों? ठेकेदारों से कितनी बार निगोसियेशन किया गया, इतनी कम राशि पर शासन द्वारा कुछ दिन क्यों नहीं चलाया, वर्ष 2013-14 से 2014-15 की राशि में कितना अन्तर रहा है? (घ) क्या इतनी बड़ी राशि के अन्तर में किसी अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जावेगा, विभाग द्वारा क्या पूर्व से नियोजित प्रक्रिया अपनाई गई हैं? मुरैना जिले में जितना अन्तर आया है उतना अन्तर अन्य जिलों में क्यों नहीं आया तथ्यों सहित जानकारी दी जावे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मुरैना जिले की अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 68,40,74,466 में एवं वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 76,87,25,831 में निष्पादित हुई थी. उनकी तहसीलवार, ग्रुपवार राशि ठेकेदारों के नाम सहित जानकारी ¦संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. वर्ष 2012-13 के मदिरा लायसेंसियों द्वारा राज्य शासन द्वारा घोषित आरक्षित मूल्य वर्ष 2013-14 पर नवीनीकरण नहीं कराये जाने से, राज्य शासन के निर्देशानुसार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा आम विज्ञप्ति जारी की जाकर सार्वजनिक टेण्डर की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आम नीलामी की कार्यवाही तीन चरणों में दिनांक 7-3-2013, 20-3-2013, 28-3-2013 को प्राप्त उच्चतम आफर पर जिला समिति द्वारा निष्पादित किया गया. वित्तीय वर्ष 2012-13 के ठेका निष्पादन से प्राप्त राशि रुपये 68,40,74,466/- से 12.4 प्रतिशत तुलनात्मक वृद्धि के साथ, वर्ष 2013-14 हेतु कुल रुपये 76,87,25,831 में ठेके निष्पादित हुए. वर्ष 2013-14 के लिए ग्रुपवार प्राप्त राशि ¦संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 8 अनुसार है. (ग) जी नहीं. मुरैना जिले के निवर्तमान मदिरा लायसेंसियों द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार घोषित आरक्षित मूल्य पर वर्ष 2014-15 के लिये नवीनीकरण नहीं कराये जाने से आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा आम विज्ञप्ति जारी की जाकर सार्वजनिक टेण्डर की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 31-1-2014, 12-2-2014, 23-2-2014 को प्राप्त उच्चतम ऑफर रुपये 72,55,67,000/- पर जिला समिति द्वारा अंतिम किया गया. घोषित शर्तों एवं निर्देशों में ठेकेदारों से निगोसियेशन का प्रावधान नहीं है. मुरैना जिले में विगत पांच वर्षों में मदिरा दुकानों के निष्पादन मूल्य में +203% की असामान्य वृद्धि, निवर्तनमान ठेकेदारों द्वारा नवीनकरण के अभाव तथा विभागीय संचालन हेतु आवश्यक अमले की अनुपलब्धता, साथ ही उक्त के लिए निहित वृहत खर्च की दृष्टि से, वित्तीय रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के विभाग के पूर्व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए शासन के राजस्व हित में प्राप्त उच्चतम ऑफर को जिला समिति द्वारा अंतिम किया गया. मुरैना जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों का वर्ष 2013-14 का वार्षिक मूल्य रुपये 76,87,25,831/- एवं 2014-15 में वार्षिक मूल्य रुपये 72,55,67,000/- प्राप्त होने से रुपये 4,31,58,831/- का तुलनात्मक अन्तर रहा है. (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' में वर्णित कार्यवाही के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुरैना जिले में 2014 और 2015 के आबकारी ठेकों में अनिमयमितताओं को लेकर प्रश्न किया है. माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि 2012-13 में लगभग 68,40,74,466 रुपये का ठेका हुआ और 2013-14 में लगभग 76,87,25,831 रुपये का ठेका हुआ. इसका मतलब एक साल में लगभग 7 करोड़ रुपये का फायदा हुआ लेकिन 2014-15 में जो ठेके हुए उसमें 72,55,67,000 रुपये में ठेका दे दिया गया.

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि यह 4-5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 20 प्रतिशत अधिक राशि का ठेका होना था लगभग 25-27 प्रतिशत का अन्तर आया है. आनन-फानन में यह ठेके दे दिये गये. 23 फरवरी को इतवार के दिन आखिरी निविदा बुलाई गई. मेरा प्रश्न है कि कम राशि होने के कारण क्या एक निविदा और कॉल नहीं की जा सकती थी, लगभग डेढ़ महीने का समय था.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो शराब के ठेके दिये जाते हैं इनकी 20 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष बढ़ाकर उनका रिन्यूवल किया जाता है. जिन दुकानों का रिन्यूवल नहीं हो पाता है उसका हम पारदर्शी तरीके से टेंडर करते हैं. हमने मुरैना में एक बार टेंडर कराया, दो बार टेंडर कराया तीसरी बार जब टेंडर आया तो उसको हमने अपनी स्वीकृति दी.

माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है वह सही है कि मुरैना में राजस्व की कमी आयी है परन्तु मुरैना जिला अकेला ऐसा नहीं है प्रदेश में छह जिले हैं जहां हमको हमारा जो वार्षिक मूल्य है उससे कम की राशि आयी है. इसके साथ यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में सात जिले ऐसे भी हैं जहां 20 प्रतिशत की अधिक राशि आना चाहिये वहां उससे भी अधिक राशि आयी है. यह होता है इसमें कोई खास बात नहीं है.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अहाते की लायसेंस फीस अभी तक जमा नहीं कराई गई है. मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अहाते की लायसेंस फीस ठेकेदारों से वसूल की जायेगी.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोल दें.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि शराब की दुकानों के साथ-साथ लायसेंस लेकर उनको बिठाकर सुविधा देने का काम जो दुकानदार का होता है उससे सरकार राशि वसूलती है. अहाते के रुप में दुकानों के साथ सुविधा दी है उन अहातों की लायसेंस फीस किसी भी ठेकेदार ने जमा नहीं करायी है.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, अहाते की फीस जहां भी लेना होगी वहां उन सबसे वसूल की जायेगी.

विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों के मापदण्ड

17. (*क्र. 3122) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में निर्मित किये जाने वाले जलाशयों के मापदण्ड क्या हैं? (1) दर/प्रति हेक्टेयर, (2) न्यूनतम सिंचाई क्षमता, यह मापदण्ड कब से लागू हैं? विगत 5 वर्षों में इसमें कोई संशोधन किया गया है तो कब और किस आधार पर जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में अनूपपुर जिले में वर्ष जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक सिंचाई जलाशयों से कितने हेक्टेयर सिंचाई की गई? जलाशयवार कुल सिंचाई क्षमता रकबा के विरुद्ध की गई? सिंचाई रकबे की जानकारी एवं उससे संबंधित पारित किश्तबंदियों की जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश "ख" के संदर्भ में जितने रकबे की किश्तबंदियां पारित की गई हैं उतने ही रकबे की सिंचाई हुई? क्या पारित किश्तबंदियों के विरुद्ध अनूपपुर जिले द्वारा फर्जी सिंचाई रकबे की जानकारी दी गई हैं? जलाशयवार किश्तबंदियों का रकबा एवं सिंचाई रकबे की जानकारी उपलब्ध करायें? यदि फर्जी सिंचाई रकबे की जानकारी दी गई हैं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी व कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार है. जल संसाधन विभाग द्वारा 40 हेक्टर से कम सिंचाई की परियोजनाएं नहीं बनाई जाती हैं. (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ख" में है. वर्ष 2013-14 में की गई सिंचाई की किश्तबंदियां नहीं बनाई गई हैं? वर्ष 2012-13 में की गई सिंचाई के विरुद्ध कम क्षेत्र की किश्तबंदियां बनाने के लिए उपयंत्री एवं अमीन की जिम्मेदारी नियत कर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा को दिए गए हैं.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न किसानों से जुड़ा हुआ है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिलिहामार जलाशय है. जो इनकी सिंचाई क्षमता,2012-13 में 108 हेक्टेयर बताई है और पारित किश्तबंदी नहीं है और 2013-14 में यह 35 हेक्टेयर बताया गया है. इस बांध की स्थिति यह है कि चिलिहामार बांध के गेट नहीं खोले गये और बांध से करीब एक जरीब जो हमारी मुख्य नहर थी उस नहर की पुलिया टूटी हुई है और कृषक मुआवजा नहीं पाने के कारण उस नहर को जोत लिये हैं. मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल,शहडोल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जल संसाधन विभाग अनूपपुर और जल संसाधन उपसंभाग, राजेन्द्र ग्राम द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे उन आंकड़ो में काफी अंतर रहा है और दूसरा यह कि तात्कालिक कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग,अनूपपुर और जल संसाधन विभाग के एस.डी.ओ. और उपयंत्रियों को दबाव देकर सिंचाई के आंकड़े बढ़ाए गए. तो यह आंकड़े जो बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं. सिंचाई जैसा कार्य जो किसानों से जुड़ा हुआ है. अधिक आंकड़े बताए गए. जो आंकड़े बढ़ाकर सदन में प्रस्तुत किये गये और बाद में किसानों से पैसा वसूल किया जाएगा तो जो प्रभावित किसान हैं जो सिंचाई का पैसा वसूला जाएगा उसे बंद कराया जाएगा या नहीं ?

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह इससे उद्भूत ही नहीं होता है. दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है सिंचाई के आकलन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के आंकड़े फर्जी नहीं है.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को – माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बांध के गेट खुले ही नहीं. सिंचाई हुई ही नहीं. आपकी नहर की पुलिया टूटी हुई है. किसानों ने मुआवजा न मिलने के कारण नहर की जुताई कर ली. जब आपकी सिंचाई ही नहीं हुई तो आप कहां से सिंचाई के आंकड़े यहां दे रहे हैं. यह मेरा कहना है. जब आपकी नहर ही खराब हो. सिंचाई ही नहीं हुई किसान ने खेत जोत लिया और आप बोल रहे हैं कि हमारे आंकड़े फर्जी नहीं हैं.

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चीजों की लापरवाही जो इस जल संसाधन विभाग में हुई है. उसके कारण वहां के कार्यपालन यंत्री श्री एस.सी.शर्मा को हमने दिनांक 16.6.2014 को निलंबित कर दिया है.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को – माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से जो वसूली की जाएगी वह बंद की जाएगी या नहीं उस पर आप रोक लगाएंगे या नहीं ? जो आंकड़े के आधार पर वहां पैसा वसूल किया जाएगा.

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है मैं उसकी जांच करा लूंगा.

अध्यक्ष महोदय - परीक्षण करा लेंगे.

प्रश्न क्र.18 (अनुपस्थित)

जनभागीदारी निधि से संबंधित स्वीकृत कार्य

19. (*क्र. 2727) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2008 से वर्तमान तक जनभागीदारी निधि से कितनी राशि के कार्य कहां-कहां हुए है? (ख) जनभागीदारी से कार्य स्वीकृति के शासन के क्या प्रावधान है? (ग) उक्त योजना से कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कब किसकी अनुशंसा अथवा मांग पर स्वीकृत हुए है? (घ) क्या जनभागीदारी से स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये है? यदि हां, तो कहां-कहां और यदि पूर्ण नहीं हुए है, तो कहां-कहां व क्यों अपूर्ण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) परिशिष्ट ''अ'' पुस्तकालय में रखे अनुसार. (ख) परिशिष्ट ''ब'' पुस्तकालय में रखे अनुसार. (ग) एवं (घ) परिशिष्ट ''अ'' पुस्तकालय में रखे अनुसार.

श्री दीवानसिंह विट्टल पटेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सरकार की महत्वपूर्ण योजना जनभागीदारी से संबंधित है. इसमें जनता की 25 प्रतिशत राशि मिलती है. मेरे प्रश्न क्रमांक-क के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सी.सी. रोड निर्माण पटेलपलिया,धनबावड़ी, में बताया है और 4.88 लाख खर्च बताया है और मार्ग पूर्ण बताया है जबकि धनबावड़ी पूरा वन ग्राम क्षेत्र है और वहां पर सी.सी. रोड निर्माण पूर्ण बताया है. मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब वन क्षेत्र में सी.सी.रोड के लिये उनको वन विभाग से क्लियरेंस लेना पड़ती है साथ ही धनबावड़ी गांव में मैं खुद भी गया हूं वहां किसी प्रकार का सी.सी. रोड निर्माण नहीं हुआ है. क्या इस प्रकार की माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे मेरी उपस्थिति में ?

श्री जयंत मलैया – माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे अपने विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी. अगर माननीय सदस्य मुझे इस प्रकार की जानकारी देंगे तो मैं निश्चित तौर से इसकी जांच करा लूंगा.

(प्रश्नकाल समाप्त)

व्यवस्था.

मेरे पास श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ओर से मान. मुख्य मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विरूद्ध दिनांक 17 जुलाई, 2014 को विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ ।

"विषयान्तर्गत अनुरोध है कि दिनांक 11 जुलाई, 2014 को दीनदयाल परिसर भोपाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी श्री शिवराज सिह चौहान एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में व्यापम घोटाले में माननीय मुख्य मंत्री जी पर लगे आरोपों का प्रतिकार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार भाजपा द्वारा व्यापम का सच शीर्षक नामक 76 पृष्ठीय पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं उसके पीछे के पृष्ठ पर व्यापम के भवन एवं मोनो क साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर व्यापम का मोनो मुद्रित है, जो कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होकर अपराधिक कृत्य है, का वितरण किया गया है, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 14 से 33 तक विधान सभा सचिवालय के तत्कालीन माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय के निजी अमले एवं सचिवालय में की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख छापा गया है । इस प्रकार विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज, पत्र, माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विधान भवन के बाहर राजनैतिक पार्टी भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचे हैं, जो कि विधान सभा नियम प्रक्रिया के नियम 271-क का उल्लंघन है । उक्त नियम 271-क जो कि, "म.प्र.विधान सभा (चतुर्थ विधान सभा)विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन दिनांक 20 सितम्बर, 1968 को सदन में प्रस्तुत किया गया है, के पृष्ठ क्रमांक-3 पर क्रमांक 8 लोक सभा के नियमों द्वारा इस संबंध में कुछ विहित नहीं किया गया है । नियम 383 में इसका कुछ संकेत मिलता है ।" वह नियम इस प्रकार है :-

"सभा या उसकी किसी समिति के अथवा लोक सभा सचिवालय के सब अभिलेख दस्तावेज और पत्र सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वे किन्ही ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना संसद भवन से बाहर नहीं ले जाने देगा ।"

आपकी सूचना पर पहले मैं व्यवस्था देता हूं इस व्यवस्था को तो आप सुन लें. अभी आपने जो लिखकर के दिया था उसको पढ़ा है. इस पर पहले मेरी व्यवस्था सुन लें.

माननीय सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना में मुख्य रूप से तीन प्रश्न उठाए हैं।

पहला –"व्यापम का सच" नामक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं उसके पीछे के पृष्ठ पर व्यापम के भवन एवं मोनो के साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर व्यापक का मोनो मुद्रित है जो कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होकर अपराधिक कृत्य है।

द्वितीय – पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 14 से 33 तक विधान सभा के तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के निजी अमले एवं सचिवालय में की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख छापे गये हैं। इस प्रकार विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज, पत्र माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विधान सभा भवन के बाहर राजनैतिक पार्टी -भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुँचे हैं, जो कि विधान सभा नियम प्रक्रिया के नियम 271-क का उल्लंघन है और विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है।

तीसरा – भारतीय जनता पार्टी द्वारा **"व्यापम का सच"** नाम पुस्तक के प्रकाशन से भाजपा विधायक दल के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रकरण बनता है।

मैंने प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना का परीक्षण निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर किया।

1. क्या किसी पार्टी द्वारा पुस्तक का प्रकाशन, वितरण विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है ?

2. विधान सभा सचिवालय के अभिलेख, दस्तावेज, पत्र विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना राजनैतिक पार्टी के द्वारा उपयोग किया जाना क्या विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता है ?

3. और क्या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किस प्रकार विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है ?

मेरा यह स्पष्ट मत है कि पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का वितरण विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आता और न ही कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किसी प्रकार से भी विशेषाधिकार भंग है।

जहां तक पुस्तक में छपे विधान सभा सचिवालय के कुछ पत्रों का प्रश्न है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि -

तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 2416/2001-श्री लक्ष्मण तिवारी एवं अन्य द्वारा दायर की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम श्री जे.एल.बोस समिति, तत्पश्चात जस्टिस शचीन्द्र द्विवेदी जांच समिति का गठन उन मामलों की जांच के लिए किया गया था। इसके पश्चात् निम्नलिखित

अध्यक्ष महोदय--

याचिकाएं भी इन्हीं नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई :-

> WP NO.1608/2000-श्री किशोर समरीते विरूद्ध मध्य प्रदेश विधान सभा एवं अन्य,

> WP NO.1274/2009-विवेक लखेरा विरूद्ध मध्य प्रदेश विधान सभा एवं अन्य,

> WP NO.10236/2012-भीमसिंह राजपूत विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य.

उपरोक्त सभी याचिकाओं और जवाब-दावों में विधान सभा में हुई नियुक्ति संबंधी दस्तावेज लगाए गए हैं। और कई दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत् लिए गए हैं । अत: यह कहना कि मेरी अनुमति के बिना विधान सभा भवन के बाहर किसी राजनैतिक पार्टी को अभिलेख,दस्तावेज और पत्र पहुँचाए गए, सही नहीं है, बल्कि यह पूर्णतया मिथ्या कथन है । बिना ठोस आधार के इस प्रकार का आरोप भी मैं उचित नहीं मानता । मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि विधान सभा सचिवालय के संबंध में किसी भी कथन के पहल कृपया सतर्कता अवश्य बरता करें ।

प्रथम दृष्ठया यह सूचना विधान सभा नियमावली के नियम 166 (1), 166(2) एवं 166 (3) की पूर्ति नहीं करती, क्येांकि इस सूचना में एक से अधिक प्रश्न उठाए गए हैं । यह हाल में घटित किसी विशिष्ट विषय से निर्बन्धित नहीं है और जहां तक कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन और अपराधिक कृत्य का प्रश्न है, इसमें सभा का हस्तक्षेप भी अपेक्षित नहीं है ।

अत: मैं माननीय सदस्य श्री रामनिवास रावत की इस विशेषाधिकार भंग की सूचना को नियमानुकूल न मानते हुए अग्राह्य करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सुनने का अवसर दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब इसमें क्या ?

डॉ. नरोत्तम मिश्र--इसमें सुनने का क्या अवसर दिया जाये ? आसंदी की व्यवस्था के ऊपर आप बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब इस पर क्या बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनने का अवसर तो दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब इसमें क्या बचा, आपकी विशेषाधिकार सूचना को नियमानुकूल न मानते हुए अग्राह्य कर दिया गया है. आप बैठें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--इसमें सुनने का क्या अवसर ? आसंदी की व्यवस्था पर बोलना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) क्षमा मांगनी चाहिये आपको कि आपने विशेषाधिकार पर असत्य कथन किया और अध्यक्ष जी ने बिन्दुवार बताया और उन्होंने प्रत्येक नियमों का हवाला दिया.

अध्यक्ष महोदय--अब इसमें वाद विवाद नहीं होगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र--जो अग्राह्य प्रश्न है, उस पर सवाल होगा क्या ?

श्री गोपाल भार्गव--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बिना सुने न्याय किया जा सकता है. (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--यह प्राइमाफेसी गलत है. (व्यवधान) प्राइमाफेसी गलत है यह (व्यवधान) प्रथम दृष्ट्या गलत है (व्यवधान) यह उचित नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- विशेषाधिकार भंग की सूचना पर बिना सुने...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--यह आपकी सूचना अग्राह्य हो गई है (व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव--व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय.

श्री रामनिवास रावत--मुझे सुन तो लें.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, इसमें कोई प्रावधान नहीं है सुनने का. आपका जो प्रश्न आया (व्यवधान) आपकी सूचना अग्राह्य हो गई है (व्यवधान) .

(श्री रामनिवास रावत, अपनी विशेषाधिकार भंग की सूचना पर बोलने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये एवं अपनी बात कहने लगे)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, यह बात उचित नहीं है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यगण भी गर्भगृह में आ गये एवं नारे लगाने लगे)

अध्यक्ष महोदय--आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर जायें. शून्यकाल की सूचनाएं.. (व्यवधान)

शून्यकाल

अध्यक्ष महोदय :- निम्न माननीय सदस्यों की शून्यकाल सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी

1. श्री ओमकार सिंह मरकाम
2. श्री हर्ष यादव
3. श्री संजीव छोटेलाल उइके
4. श्री आरिफ अकील
5. श्री नीलेश अवस्थी
6. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
7. श्री निशंक कुमार जैन
8. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी
9. डॉ. गोविन्द सिंह
10. श्री रामनिवास रावत

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर जायें, व्यवस्था हो गई अब (व्यवधान) .

ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदयः- विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई

अध्यक्ष महोदय--मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप जायें अपनी जगह पर, आपसे अनुरोध है कि यह बात ठीक नहीं है. रोज रोज आप हंगामा करते हैं, यह उचित नहीं है.(व्यवधान).

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत, वेल सिंह भूरिया. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें..(व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके आप लोग अपनी सीट पर वापस जायें. यह उचित नहीं है.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य--अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के यह सदस्य काम नहीं करने देना चाहते हैं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब व्यवस्था पर कुछ नहीं सुनना है, आप वरिष्ठ सदस्य है, यह अच्छी बात नहीं है (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

(गर्भगृह में प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये जाते रहे.)

अध्यक्ष महोदय -- सभी सदस्यों की ध्यान आकर्षण की सूचनायें और उनके उत्तर सदन में पढ़े हुए माने जायेंगे. ..(व्यवधान).. (गर्भगृह में सदस्यों से) यह उचित नहीं है. अब इसमें सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है. कृपया करके अपनी सीट पर जायें.

..(व्यवधान)..

11.41 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

लोक लेखा समिति का प्रथम से अठारहवां प्रतिवेदन

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति -- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का प्रथम से अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. (गर्भगृह में सदस्यों से) इसमें कोई प्रावधान नहीं है. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शांत तो रहिये. यह क्या है, यह कोई तरीका है क्या. प्रिविलेज पर व्यवस्था आ गयी. नहीं, सुने बिना ही चल जायेगा. यह बात उचित नहीं है.

11.42 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय -- आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- (गर्भगृह में सदस्यों से) अब कार्यवाही आगे बढ़ गयी है. सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है. यह सब आप लोग कर रहे हैं. नियमों के विपरीत आप यहां गर्भगृह में आ गये हैं और जो सुनवाई का प्रावधान नहीं है, उसको सुनवाने के लिये जिद कर रहे हैं. यह सर्वथा अनुचित है. आपके प्रश्न पर पूरी गंभीरता से विचार करके उसमें उल्लिखित तथ्यों पर विचार करके नियम प्रक्रिया को देखकर किया है. ..(व्यवधान)..

11.43 बजे

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई,2014 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	नाम विधेयक	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 17 सन् 2014)	15 मि.
(2)	दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014)	30 मि.
(3)	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)	30 मि.
(4)	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)	30 मि.
(5)	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)	1 घन्टा
(6)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014)	30 मि.

अब, इसके संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- आप लोग शांत रहिये. काम होने दीजिये. यह बात उचित नहीं है. कृपा करके आप लोग काम होने दीजिये. (गर्भगृह में श्री रामनिवास रावत, सदस्य से) आप

वरिष्ठ सदस्य हैं. आपको मालूम हैं. आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आपको मालूम है कि इसमें बिना सुने ही सीधी व्यवस्था दी जाती है. ..(व्यवधान)... आपकी सूचना नियमानुकूल नहीं थी, इसलिये इसको रिजेक्ट कर दिया. किसी नियम में ही नहीं आ रही है, तो उसको सुनें कैसे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक व्यवहार है विपक्ष का. यह शासकीय कार्य पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- आप लोग कृपया बैठ जायें. सीधे बात कोई नहीं करेगा. आपसे भी और आपसे भी अनुरोध है कि सीधे बात मत करिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा नहीं करना चाहते हैं.

..(व्यवधान)..

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में आकर के नारेबाजी करते रहे)
.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय-- यह बात उचित नहीं है. कृपया अपने अपने स्थान पर जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा-- यह गलत परम्परा डाल रहे हैं, सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है. विपक्ष का आपत्तीजनक व्यवहार है.

अध्यक्ष महोदय--नियमों के विपरीत आप गर्भगृह में आये हैं.यह सर्वथा अनुचित है.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय, क्या विपक्ष के सदस्यों का बोलने का अधिकार खतम कर दिया गया है.

...व्यवधान....

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- विपक्ष चर्चा से भाग रहा है.

एक माननीय सदस्य - बिल्कुल नहीं भाग रहा है. लेकिन यह क्या तरीका है सदन को चलाने का.

शासकीय विधि विषयक कार्य.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में आकर के नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

(क्रमांक-1)

दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करती हूं.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

2. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2014(क्रमांक 19 सन् 2014)

(क्रमांक-1)

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2014

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014** का पुर:स्थापन करता हूं.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

मांग संख्या 36	**परिवहन**
मांग संख्या 46	**विज्ञान और टेक्नालॉजी**
मांग संख्या 69	**सूचना प्रौद्योगिकी**

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या	- 36	परिवहन के लिए एक सौ छत्तीस करोड़, चौवन लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए तीस करोड़, सैंतालीस लाख, रुपये, तथा
अनुदान संख्या	- 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सौ अस्सी करोड़, अठारह लाख, पचहत्तर हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अपने अपने स्थान पर जायें.

श्री लाल सिंह आर्य-- विपक्ष चर्चा से कतरा रहा है. विपक्ष पलायन कर रहा है.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में आकर के नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 36	परिवहन क्रमांक
श्री आरिफ अकील	1
कुंवर विक्रम सिंह	2
डॉ. गोविन्द सिंह	3
डॉ. रामकिशोर दोगने	5
श्री हर्ष यादव	7
श्री बाला बच्चन	8

मांग संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
श्री रामनिवास रावत	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री आरिफ अकील	3

मांग संख्या – 69	सूचना प्रौद्योगिकी
श्री रामनिवास रावत	1
श्री बाला बच्चन	2
श्री हर्ष यादव	3
श्री आरिफ अकील	4

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में आकर के नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय-- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

(भारी व्यवधान के कारण माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा शुरू नहीं की जा सकी)

अध्यक्ष महोदय --- माननीय मंत्री जी...

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी व्यवधान है इसलिये मैं मांगों का उत्तर विधानसभा के पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- उत्तर पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई.

कृपा करके आप लोग बैठ जायें, रोज आप लोग उधम करते हैं. रोज नहीं चलने देते. कॉल अटेंशन कल भी नहीं आने दिया आज भी नहीं आने दे रहे हैं. इससे दूसरे सदस्यों के अधिकार भी खत्म होते हैं.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या	- 36	परिवहन के लिए एक सौ छत्तीस करोड़, चौवन लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए तीस करोड़, सैंतालीस लाख, रुपये, तथा
अनुदान संख्या	- 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सौ अस्सी करोड़, अठारह लाख, पचहत्तर हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

शासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014)

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान.....

(क्रमांक-2/1)

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2014

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

(चर्चा यदि हो)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे)

.....व्यवधान........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जायें. आप रोज कोई न कोई विषय लेकर आ जाते हैं और सदन नहीं चलने देते हैं. मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं. प्रतिदिन आप कोई न कोई बहाना करके नारे लगाते हैं. (व्यवधान) यह बिलकुल उचित नहीं है. इससे सभी सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है. यह सर्वथा अनुचित है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. बिना सुने की किया जाता है. आप नियम-प्रक्रिया पढ़ लीजिए. कक्ष में भी किया जा सकता है. मैंने तो यहां चर्चा करके दिया है. (व्यवधान) संसदीय कार्यमंत्रीजी, आप भी बैठ जायें.

(गर्भगृह में उपस्थित सदस्य नारेबाजी करते रहे)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- आप आसंदी के खिलाफ आ गये. यह कोई तरीका है.(व्यवधान) आसंदी की व्यवस्था के खिलाफ आ गये. (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सदन का राजनैतिक उपयोग किया जा रहा है. (व्यवधान) विपक्ष विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहता. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- खण्ड 2 इस खण्ड में एक संशोधन है.

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय:-

खंड 2 के उपखण्ड (1) की कंडिका (ग्यारह) में विद्यमान शब्दावली के स्थान पर, निम्नलिखित शब्दावली स्थापित की जाए,अर्थात :-

(ग्यारह) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित चार शिक्षाविद्, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, जो कम से कम स्नातक हों और किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, जिनमें से अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन चार व्यक्तियों में से कम से कम दो महिलाएं होंगी ;

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खंड 2 के उपखण्ड (1) की कंडिका (ग्यारह) में विद्यमान शब्दावली के स्थान पर, निम्नलिखित शब्दावली स्थापित की जाए,अर्थात :-

(ग्यारह) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित चार शिक्षाविद्, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, जो कम से कम स्नातक हों और किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, जिनमें से अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन चार व्यक्तियों में से कम से कम दो महिलाएं होंगी ;

संशोधन स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यथासंशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

यथासंशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री (उच्च शिक्षा):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य गर्भ गृह में नारे लगाते रहे.)

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - कृपया सभी सदस्य बैठ जायं, रोज-रोज गर्भ गृह में आकर नारे लगाना, यह कोई तरीका नहीं है.

(4) मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014)

वाणिज्यिक कर (श्री जयंत मलैया) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं. आप रोज-रोज नारे लगाते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - (व्यवधान)..अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इस मंदिर की मर्यादा को भंग करने की यह विपक्ष के द्वारा कोशिश है. यह ठीक नहीं है.(व्यवधान)..

(5) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय- खण्ड 2 इस खण्ड में एक संशोधन है.

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जायः-

खंड 2 के परन्तुक में विद्यमान शब्द 'सत्रह लाख ' के स्थान पर, शब्द ' दस लाख ' किया जाय.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि खंड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय-

खंड 2 के परन्तुक में विद्यमान शब्द 'सत्रह लाख ' के स्थान पर शब्द ' दस लाख' किया जाय.

संशोधन स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि यथा संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग बने.

यथा संशोधित खंड 2 विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य गर्भ गृह में नारे लगाते रहे.)

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - (व्यवधान)...आप इस फोरम का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको जनता माफ नहीं करेगी, यह फ्लोर आपको चर्चा के लिए मिला है, इस फ्लोर पर चर्चा करो, हल्ला करना है तो सड़क पर करो, चर्चा करना है तो यहां पर करो, आप हल्ला विधान सभा में करते हो, चर्चा सड़क पर करते हो.

(6) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बनें.

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

(व्यवधान)

श्री कैलाश विजवर्गीय- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) ,संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य गर्भ गृह में लगातार नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग बैठ जाईये.

(व्यवधान)

(7) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन)विधेयक,2014 (क्रमांक 16 सन् 2014)

श्री जयन्त मलैया- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके आप बैठ जायें, किसी विधेयक पर आप बहस नहीं करते, न ही चर्चा में भाग लेते हैं, .ये क्या तरीका है आपका ?

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, ये कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक अंग बने.

श्री जयंत मलैया- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक,2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं. (व्यवधान) नहीं, अभी सब कुछ नहीं निकला है, अभी बहुत कुछ रह गया है, फिर वही, आप किताब लेकर खड़े हो गए. ये उचित नहीं है. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- हम आपके इस कृत्य की निन्दा करते हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- कृपा करके वाद विवाद न करें. (व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विनियोग पर भी आज चर्चा की जाए.(व्यवधान) मैं संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करता हूं,लेकिन ये चर्चा करना नहीं चाहते.

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके बैठ जाएं. (व्यवधान) आप बैठ जाएं तो बात करें. (व्यवधान) विधान सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित .

(12.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित)

12.48 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का आज आपकी आसंदी की व्यवस्था के बाद में हमारे विपक्ष के सदस्यों ने जो आचरण किया, मैं उसको अशोभनीय मानता हूं. काफी लंबे समय हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत—यह आप जो कर रहे हैं, वह अशोभनीय नहीं है. अध्यक्ष महोदय के खड़े होने के बाद भी बोले जा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं.

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

विधि और विधायी कार्य मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम, अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय—अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ.

..व्यवधान...

12.51 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

अध्यक्ष महोदय—विधानसभा के कार्यसंचालन के नियम के अंतर्गत आज अनुपूरक कार्यसूची की अनुज्ञा मेरे द्वारा प्रदान की गई है. अब जारी की गयी अनुपूरक कार्यसूची के अनुसार कार्य लिये जाएंगे.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है. न तो हमको अनुपूरक कार्यसूची मिली है.(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—यह सिर्फ स्थगन प्रस्ताव में होता है अगर आसंदी से ऐसा आचरण होगा..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कार्यसूची बंट गयीहै, पिजन होल में रखवा दी गई है.(व्यवधान)

12.52 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(क) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन क्रमांक-4 तथा

(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का

वित्त.

श्री जयंत मलैया, (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –

(क) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन क्रमांक-4 तथा

(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त पटल पर रखता हूँ.

..व्यवधान..

(2) दिनांक 01

अक्टूबर, 2006 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अन्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में सिंध नदी पार करते समय यात्रियों के बह जाने की घटित घटना की न्यायिक जॉच आयोग का प्रतिवेदन 21 मार्च, 2007 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पाण्डे, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर शासन के संकल्प सहित.

श्री लालसिंह आर्य (सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक-60 सन् 1952) की धारा-3 की उप धारा-4 की अपेक्षानुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अन्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में सिंध नदी पार करते समय यात्रियों के बह जाने की घटित घटना की न्यायिक जॉच आयोग का प्रतिवेदन 21 मार्च, 2007 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पाण्डे, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित पटल पर रखता हूँ.

...व्यवधान..

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधित कार्यसूची अभी जो मिली, किस नियम के तहत् मिली. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय—कई बार संशोधित कार्यसूची निकल चुकी है. पहली बार नहीं है यह, अनेक पूर्व उदाहरण हैं..(व्यवघान) यह बात ठीक नहीं है. यह दिसम्बर 2012 के सत्र में आप देख लीजिए,यह एक उदाहरण दिसम्बर 2012 का तो मैं अभी दे रहा हूँ (व्यवधान) दैनिक कार्यसूची में अनपूरक प्रस्ताव निकलते है. विनियोग विधेयक,2014 श्री जयंत मलैया.

(व्यवधान के बीच सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

...व्यवधान...

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक,2014

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 6) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 6) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय---- प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-6) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं.... (व्यवधान)....चर्चा हुई ही नहीं. चर्चा प्रारंभ नहीं हुई, चर्चा कराई नहीं और बिना पूछे..

अध्यक्ष महोदय-- आपने कोई नाम दिये थे क्या?...(व्यवधान)...

श्री शंकरलाल तिवारी-- कांग्रेस ने इस सत्र में कसम खा ली थी हम कार्यसूची के अलावा सभी कुछ कहेंगे...(व्यवधान)... कार्यसूची के विषयों में शामिल नहीं होंगे, न कोई कार्य चलने देंगे.

12.56 बजे **<u>विधानसभा की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव</u>**

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)--- माननीय अध्यक्ष महोदय,चूंकि वर्तमान सत्र हेतु नियत महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूरा हो गया है और प्रतिपक्ष(कांग्रेस) के सदस्य सदन चलाना नहीं

चाहते हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं. अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि-..(व्यवधान).

विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय.

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)-- मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)—मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्य़क्ष महोदय--- डॉ नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि संसदीय कार्य समाप्त हो गया है और अन्य कार्य लंबित नहीं है. अतः विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय....(व्यवधान)..

राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान जन गण मन का गायन

अध्यक्ष महोदय-- अब राष्ट्रगान होगा.

(सदन में राष्ट्रगान जन गण मन का समूहगान किया गया)

12.58 बजे **विधानसभा की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन**

अध्य़क्ष महोदय--- विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.58 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक- 22 जुलाई, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा